


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]
No. 192]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2016/वैशाख 19, 1938
NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2016/ VAISAKHA 19, 1938

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
अधिसूचना**

हैदराबाद, 13 अप्रैल, 2016

**भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016**

फा. सं. भा.बी.वि.वि.प्रा./विनियम/10/122/2016. —बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 13, 64वीं और 64वींए के साथ पठित धारा 114ए की उप-धारा (2) के खंड (जी), (वाई), (जेड) और (जेडए) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 26 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण, बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद, इसके द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) ये विनियम भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 के नाम से जाने जाएँगे।
- (2) ये विनियम 1 अप्रैल; 2016 से प्रवृत्त होंगे तथा जीवन बीमा व्यवसाय करने वाले सभी बीमाकर्ताओं पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएँ.—

- (1) इन विनियमों में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो---

(क) "अधिनियम" से बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकरण" से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999(1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ग) "वार्षिकीकृत प्रीमियम" से नियमित प्रीमियम (अतिरिक्त प्रीमियमों को छोड़कर जिन्हें अलग से दर्शाना अपेक्षित है) अभिप्रेत है जो एक पॉलिसी वर्ष में पॉलिसी के अंतर्गत मूलभूत लाभों को सुरक्षित करने के लिए पॉलिसीधारक द्वारा देय है;

(घ) "अतिरिक्त प्रीमियम" से ऐसे किसी जोखिम के लिए प्रभार अभिप्रेत है जिसके लिए न्यूनतम संविदा प्रीमियम में व्यवस्था नहीं की गई है;

(ङ) "सामूहिक व्यवसाय" से इस प्रकार की बीमा संविदाएँ अभिप्रेत हैं जो एक 'सामूहिक पॉलिसी' के रूप में जानी जाती हैं, जहाँ पॉलिसी द्वारा रक्षित व्यक्तियों की संख्या पचास से कम नहीं है अथवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित रूप में संख्या इससे कम है तथा एक 'सामूहिक पॉलिसी' के रूप में प्राधिकरण द्वारा लिखित में पॉलिसी का एक मानक फार्म प्रमाणित है;

(च) "गारंटियाँ" से लाभों अथवा प्रीमियमों अथवा प्रभारों से संबंधित वे शर्तें अभिप्रेत हैं जिनमें पॉलिसी की अवधि में परिवर्तन नहीं किया जा सकता;

(छ) "वैयक्तिक व्यवसाय" से एकल/ संयुक्त जीवनो पर जारी की गई वैयक्तिक बीमा संविदाएँ अभिप्रेत हैं;

(ज) "अंतर मूल्यांकन अवधि" से किसी भी मूल्यांकन के संबंध में, उस मूल्यांकन के मूल्यांकन दिनांक तक की अवधि अभिप्रेत है जो पिछले मूल्यांकन के मूल्यांकन दिनांक से है जिसके संबंध में अधिनियम के अधीन अथवा अधिनियम द्वारा निरस्त किये गये अधिनियमनों के अधीन सारांश तैयार किया गया हो, अथवा, उस स्थिति में जहाँ प्रश्नगत वर्ग के व्यवसाय के संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया गया हो, वहाँ उस तारीख से है जब बीमाकर्ता ने उस वर्ग का व्यवसाय प्रारंभ किया हो;

- (झ) "गणितीय आरक्षित निधियाँ" से जीवन बीमा व्यवसाय की पॉलिसियों अथवा संविदाओं के अंतर्गत अथवा उनके संबंध में उत्पन्न होने वाली देयताओं को (उन देयताओं को छोड़कर जो देय हो गई हों और जो किसी पॉलिसी के संबंध में वापस जमा करने की व्यवस्था से उत्पन्न होने वाली हों जिससे पुनर्बीमाकर्ता द्वारा अध्यक्षकर्ता (सेडंट) के पास कुछ राशि जमा की जाती है) पूरा करने के लिए किसी बीमाकर्ता द्वारा किया गया प्रावधान अभिप्रेत है। गणितीय आरक्षित निधियों में मृत्यु-दर और अस्वस्थता-दर; ब्याज-दरें और व्यय-दरें; जैसे आधारों के प्रतिकूल विचलनों के लिए विशिष्ट प्रावधान तथा इन विनियमों के अनुसार देयताओं के मूल्यांकन में किया गया कोई भी सुस्पष्ट प्रावधान भी सम्मिलित है;
- (ञ) "परिपक्वता की तारीख" से वह नियत तारीख अभिप्रेत है जब लाभ पूर्णतः अथवा आकस्मिक रूप से देय हो सकता है;
- (ट) "सममूल्येतर पॉलिसियाँ" अथवा "लाभों में सहभागिता से रहित पॉलिसियाँ" से वे पॉलिसियाँ अभिप्रेत हैं जो पॉलिसी की अवधि के दौरान अधिशेष (लाभ) में किसी अंश के लिए हकदार नहीं हैं;
- (ठ) "विकल्प" से किसी पॉलिसी के अंतर्गत पॉलिसीधारक के लिए उपलब्ध अधिकार अभिप्रेत हैं;
- (ड) "सममूल्य पॉलिसियाँ" अथवा "लाभों में सहभागिता से युक्त पॉलिसियाँ" से वे पॉलिसियाँ अभिप्रेत हैं जो सममूल्येतर पॉलिसियाँ नहीं हैं जैसा कि उप-विनियम (ट) में परिभाषित हैं;
- (ढ) "लाभों में आस्थगित सहभागिता से युक्त पॉलिसियाँ" से वे पॉलिसियाँ अभिप्रेत हैं जो पॉलिसी के प्रारंभ की तारीख से कुछ अवधि के बाद लाभों में सहभागिता के लिए हकदार हैं;
- (ण) "प्रीमियम अवधि" से वह अवधि अभिप्रेत है जिसके दौरान प्रीमियम देय हैं;
- (त) "अनुवृद्धियाँ" (राइडर्स) अथवा "अनुवृद्धि लाभ" से वे वर्धित लाभ अभिप्रेत हैं जो किसी पॉलिसी के अंतर्गत मूलभूत लाभों के अतिरिक्त हैं;
- (थ) किसी जीवन अथवा स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी के संबंध में "जोखिम पर राशि" से वह राशि अभिप्रेत है जो-
- ऐसी किसी भी स्थिति में देय राशि जिसमें नीचे खंड (ii) में उल्लिखित से भिन्न प्रकार से बीमा-रक्षा प्राप्त मृत्यु अथवा किन्हीं अन्य आकस्मिकताओं के परिणामस्वरूप देय होती है, तथा
 - लाभ का वर्तमान मूल्य जिसमें किसी भी स्थिति में प्रश्नगत पॉलिसी के अंतर्गत लाभ, मृत्यु अथवा किसी अन्य आकस्मिकता के परिणामस्वरूप वार्षिकी के भुगतान, किसी राशि का किस्तों में भुगतान अथवा किसी अन्य प्रकार के आवधिक भुगतान करना निहित है, जो किसी भी स्थिति में उस पॉलिसी के संबंध में गणितीय आरक्षित निधियों को घटाकर होगा।

(द) "मूल्यांकन की तारीख" से किसी भी मूल्यांकन के संबंध में वह तारीख अभिप्रेत है जिस तारीख को मूल्यांकन किया जाता है;

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उन अधिनियमों के अधीन बनाये गये किसी भी नियम अथवा विनियम में परिभाषित सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों, नियमों अथवा विनियमों में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3. बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश की तैयारी के लिए कार्यविधि.-

(1) सारांश और विवरण अवश्य इस प्रकार व्यवस्थित किये जाने चाहिए कि पैराग्राफों की संख्या और अक्षर विनियम 4 के अनुरूप हों।

(2) सारांश और विवरण प्राधिकरण को उनकी संबंधित अवधि की समाप्ति से तीन महीने के अंदर अथवा बोर्ड द्वारा लेखों के अंगीकरण की तारीख से तीस दिन के अंदर, जो भी पहले हो, प्रस्तुत किये जाएँगे।

(3) ऐसे प्रत्येक सारांश और विवरण के साथ निम्नलिखित को संलग्न किया जाएगा-

(क) मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाणपत्र कि ऐसी प्रत्येक पॉलिसी का पूर्ण और सही विवरण जिसके अंतर्गत कोई देयता हो, चाहे वह वास्तविक हो अथवा आकस्मिक, जाँच-पड़ताल के लिए नियुक्त बीमांकक को प्रस्तुत किया गया है; तथापि, यदि कोई अपवाद हों, तो उन्हें मूल्यांकन डेटा में कमी को सुधारने के लिए की जा रही कार्रवाई के साथ प्रकट किया जाए।

(ख) नियुक्त बीमांकक द्वारा हस्ताक्षरित, यदि उनकी कोई टिप्पणियाँ हों तो उनके साथ इस आशय का प्रमाणपत्र कि:-

- i. जाँच-पड़ताल के प्रयोजन के लिए देयताओं के मूल्यांकन संचालित करने में सीईओ द्वारा प्रस्तुत डेटा को शामिल किया गया है।
- ii. उन्होंने अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन किया है।
- iii. उन्होंने प्राधिकरण की सहमति के साथ भारतीय बीमांकक संस्थान द्वारा जारी किये गये बीमांकक व्यवहार मानकों का पालन किया है।
- iv. डेटा का सहीपन और पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए उचित कदम उठाये गये हैं (यदि डेटा की कोई कमी पाई जाती है तो उसका विशेष रूप से उल्लेख किया जाए)।
- v. उनकी राय में, गणितीय आरक्षित निधियाँ संविदाओं के अंतर्गत बीमाकर्ता की भावी प्रतिबद्ध राशियों और पॉलिसीधारकों की उचित प्रत्याशाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हैं।

4. सारांश और विवरणों के संबंध में लागू अपेक्षाएँ.- (1) सारांश और विवरण निम्नलिखित के संबंध में अलग-अलग तैयार किये जाएँगे—

(क) सहभागी (पार्टिसिपेटिंग);

(ख) लाभ-रहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) व्यवसाय

(2) बीमाकर्ता निम्नलिखित विवरण तैयार करेगा जो इन विनियमों के अनुसार तैयार किये गये सारांश के साथ संलग्न किये जाएँगे, अर्थात् :-

क. विस्तृत विवरण

(क) सहभागी व्यवसाय के संबंध में :

i. फार्म डीडी

ii. फार्म डीडीडी

iii. फार्म एनएलबी-1

iv. फार्म एनएलबी-2

v. फार्म वीआईपीएनएलबी 1

vi. फार्म वीआईपीएनएलबी 2

vii. फार्म वीआईपीएलबी 1

viii. फार्म वीआईपीएलबी 2

ix. फार्म वीआईपीएलबी 3

x. फार्म यूएलबी-1

xi. फार्म यूएलबी-2

xii. फार्म यूएलबी-3

xiii. फार्म आईए पीएआर

(ख) लाभ-रहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) व्यवसाय के संबंध में

- i. फार्म डीडी
- ii. फार्म डीडीडी
- iii. फार्म एनएलबी-1
- iv. फार्म एनएलबी-2
- v. फार्म वीआईपीएनएलबी 1
- vi. फार्म वीआईपीएनएलबी 2
- vii. फार्म वीआईपीएलबी 1
- viii. फार्म वीआईपीएलबी 2
- ix. फार्म वीआईपीएलबी 3
- x. फार्म यूएलबी-1
- xi. फार्म यूएलबी-2
- xii. फार्म यूएलबी-3
- xiii. फार्म आईए एनपीएआर

ख. सारांश विवरण:

- (क) देयताओं का विवरण – फार्म एच
(ख) आस्तियों का विवरण –फार्म एए
(ग) मूल्यांकन तुलन-पत्र – फार्म ।
(घ) फार्म केटी1

(ड) फार्म केटी2

(च) उपलब्ध शोधक्षमता (साल्वेन्सी) मार्जिन और शोधक्षमता अनुपात का विवरण – फार्म केटी3

(छ) अधिशेष की संरचना और वितरण – फार्म एस

ग. समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित रूप में कोई भी फार्म

(3) प्रत्येक सारांश में निम्नलिखित को दर्शाया जाएगा-

(क) **मूल्यांकन की तारीख-** वह तारीख जिस तारीख को मूल्यांकन (जाँच-पड़ताल) किया गया;

(ख) **उत्पाद-** मूल्यांकन में सम्मिलित सभी उत्पादों/अनुवृद्धियों की सूची उनके संबंधित यूआईएन के साथ;

(ग) **विदेशी परिचालन-** अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान बीमाकर्ता के विदेशी परिचालनों का एक संक्षिप्त विवरण;

(घ) **मूल्यांकन डेटा-** नियुक्त बीमांकक सीईओ द्वारा उपलब्ध कराये गये डेटा की सुसंगति, पूर्णता और सहीपन का सत्यापन करने के लिए उठाये गये कदमों पर टिप्पणी करेगा।

(ड) **मूल्यांकन पद्धति-** निम्नलिखित का संक्षिप्त विवरण—

- i. बीमा उत्पादों के संबंध में गणितीय आरक्षित निधियों के निर्धारण में अपनाई गई पद्धतियाँ;
- ii. वह पद्धति जिसके द्वारा प्रवेश के समय आयु, प्रीमियम अवधि, परिपक्वता की तारीख, मूल्यांकन अवधि, मूल्यांकन की तारीख से परिपक्वता की तारीख तक की अवधि को मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए हिसाब में लिया गया है;
- iii. वह तरीका जिसमें पुनर्बीमा को घटाकर मूल्यांकन की आरक्षित निधियों का परिकलन करने में पुनर्बीमा को हिसाब में लिया गया है
- iv. निम्नलिखित के लिए अनुमति देने की पद्धति-
 - क) प्रीमियम आय का भार (इन्सिडेन्स);
 - ख) वार्षिक तौर पर देय प्रीमियमों को छोड़कर अन्य प्रकार से देय प्रीमियम;

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ii) एकल प्रीमियम और पूर्णतः प्रदत्त | | | | | | | | | |
| iii) घटाया गया प्रदत्त | | | | | | | | | |
| (ख) बीमा उत्पाद | | | | | | | | | |
| i) नियमित प्रीमियम | | | | | | | | | |
| ii) एकल प्रीमियम और पूर्णतः प्रदत्त | | | | | | | | | |
| iii) घटाया गया प्रदत्त | | | | | | | | | |

टिप्पणियाँ :

- (i) इन मानदंडों हेतु प्रतिकूल विचलनों के लिए मार्जिनों का सार-संक्षेप दें।
- (ii) मूल्यांकन के मानदंडों का परिकलन करने के लिए आधार, अनुभव सहित, यदि कोई हो, प्रस्तुत करें।
- (iii) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान पूर्वानुमानों में किये गये किन्हीं महत्वपूर्ण परिवर्तनों का सार-संक्षेप प्रभाव सहित दें और उन्हें उचित सिद्ध करें।
- (iv) प्रीमियमों, बीमित राशि, वार्षिकी, आदि से संबंधित व्यय और प्रति पॉलिसी सारणी के स्तंभ (6) के अंतर्गत अलग से विनिर्दिष्ट करें;
- (v) सारणी के स्तंभ (9) के अंतर्गत लाभसहित संविदाओं के संबंध में अंतिम बोनस तथा संबद्ध व्यवसाय के संबंध में प्रबंधन प्रभार, यूनिट वृद्धि दर, पॉलिसी खाता वृद्धि दर आदि जैसी मदों को विनिर्दिष्ट करें;
- (vi) अन्य प्रावधानों से संबंधित मदें, यदि कोई हों, स्तंभ (9) के भाग के रूप में शामिल करें।

5. ऋणात्मक आरक्षित निधियाँ और गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य न्यूनता आरक्षित निधियाँ- ऋणात्मक आरक्षित निधियों और गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य न्यूनता आरक्षित निधियों के लिए अपनाई गई अभिक्रिया (ट्रीटमेंट) का एक संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया जाएगा।

6. आस्तियों पर प्रतिलाभ: निवेश पर प्रतिफल, आस्तियों पर समय के चलते माध्य (मीन) निधि के प्रतिशत के रूप में निवेश आय होगा जो व्यवसाय / खंडों आदि के ब्लॉकों के कारण होगा। इस प्रयोजन के लिए आस्तियों का मूल्य जीवन बीमा व्यवसाय की आस्तियों, देयताओं और शोधक्षमता मार्जिन के संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों में निर्धारित आस्ति मूल्यांकन पद्धति का प्रयोग करते हुए समायोजित आस्तियों का मूल्य होगा। माध्य निधि (मीन फंड) का निर्धारण उक्त निधि में नकदी प्रवाह की मात्रा और व्यय-भार (इन्सिडेन्स) को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

7. अधिशेष का वितरण.- शेयरधारकों और पॉलिसीधारकों के बीच अधिशेष के वितरण में अपनाये गए आधार का तथा क्या ऐसे वितरण का निर्धारण बीमाकर्ता का संघटन करने वाले साधनों अथवा उसके विनियमों या उप-विधियों के द्वारा अथवा कैसे अन्य प्रकार से किया गया, इसका उल्लेख किया जाएगा।

8. लाभों के वितरण में अपनाये गये सिद्धांत.- पॉलिसीधारकों के बीच लाभों के वितरण में अपनाये गये सामान्य सिद्धांत, निम्नलिखित बिंदुओं पर विवरणों सहित प्रस्तुत किये जाएँगे.-

- (1) क्या ये सिद्धांत बीमाकर्ता का संघटन करने वाले साधनों के द्वारा अथवा उसके विनियमों अथवा उप-विधियों द्वारा अथवा कैसे अन्य प्रकार से निर्धारित किये गये;
- (2) बोनस का आबंटन करने से पहले उन वर्षों की संख्या जब प्रीमियम का भुगतान किया जाएगा, व्यतीत होने वाली अवधि तथा पूरी की जाने वाली अन्य शर्तें;
- (3) क्या बोनस का आबंटन भुगतान किये गये प्रत्येक वर्ष के प्रीमियम के संबंध में किया गया, अथवा प्रत्येक कैलेंडर वर्ष या बीमे के वर्ष के संबंध में किया गया अथवा कैसे अन्य प्रकार से किया गया; तथा
- (4) क्या बोनस आबंटन पर तत्काल विहित होता है, अथवा यदि ऐसा नहीं है, तो विहित होने की शर्तें।

9. पॉलिसीधारकों की निधियों के संबंध में अधिशेष की संरचना और अधिशेष के वितरण का विवरण.-

(1) **पॉलिसीधारकों की निधियों के संबंध में अधिशेष की संरचना और अधिशेष के वितरण का विवरण**, तुलन-पत्र की तारीख को विद्यमान स्थिति के अनुसार अधिशेष की कुल राशि दर्शाते हुए तथा ऐसे अधिशेष के आबंटन को दर्शाते हुए निम्नलिखित रूप में ब्योरे के साथ सहभागी (पार्टिसिपेटिंग) व्यवसाय और लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) व्यवसाय के लिए अलग-अलग प्रस्तुत किया जाएगा:-

अधिशेष की संरचना:

- (क) मूल्यांकन वर्ष के दौरान उत्पन्न होने वाला अधिशेष;
- (ख) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान अदा किये गये अंतरिम बोनस;

- (ग) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान अदा किये गये अंतिम (टर्मिनल) बोनस;
- (घ) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान अदा किये गये निष्ठा (लॉयल्टी) परिवर्धन अथवा अन्य प्रकार के बोनस;
- (ङ) अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान शेयरधारकों की निधियों से अंतरित राशि;
- (च) पॉलिसीधारकों की निधियों से पिछले मूल्यांकन से आगे लाये गये अधिशेष की राशि;
- (छ) कुल अधिशेष (मद (क) से (च) तक का कुल जोड़) :

अधिशेष का वितरण:

पॉलिसीधारकों की निधि:

- (क) अदा किये गये अंतरिम बोनसों के लिए;
- (ख) अंतिम बोनसों के लिए;
- (ग) निष्ठा परिवर्धनों अथवा किसी अन्य प्रकार के बोनसों, यदि कोई हों, के लिए;
- (घ) पॉलिसीधारकों के बीच तत्काल सहभागिता के साथ, सहभागिता करनेवाली पॉलिसियों की संख्या और उनके अंतर्गत वीमित राशि देते हुए (बोनसों को छोड़कर);
- (ङ) आस्थगित सहभागिता के साथ पॉलिसीधारकों के बीच, सहभागिता करनेवाली पॉलिसियों की संख्या और उनके अंतर्गत वीमित राशि देते हुए (बोनसों को छोड़कर);
- (च) प्रत्येक आरक्षित निधि अथवा अन्य निधि अथवा खाते के लिए (अंतर-मूल्यांकन अवधि के दौरान उक्त खातों के माध्यम से अंतरित ऐसी किन्हीं भी राशियों के संबंध में अलग से बताया जाएगा);
- (छ) जैसा कि अविनियोजित रूप में आगे बढ़ाया गया।

शेयरधारकों की निधि:

- (ज) शेयरधारकों की निधियों के लिए (अंतर मूल्यांकन अवधि के दौरान उक्त खातों के माध्यम से अंतरित ऐसी किन्हीं भी राशियों के संबंध में अलग से बताया जाएगा);

कुल राशियाँ :

- (i) आबंटित कुल अधिशेष: (मद (क) से (ज) तक का कुल जोड़)

(2) प्रत्येक प्रकार के सहभागी उत्पाद के लिए विभिन्न तरीकों के अंतर्गत प्रभाजित राशियों के साथ, जिनमें बोनस प्राप्य है, एक हजार रुपये लाभ के लिए पॉलिसियों को आबंटित बोनसों का नमूना प्रस्तुत किया जाएगा।

10. सभी फार्मों के लिए लागू टिप्पणियाँ जो अनुबंधों के रूप में संलग्न हैं

(1) विनियम 4 के उप-विनियम (2) के अंतर्गत उल्लिखित प्रत्येक फार्म के संबंध में निम्नलिखित विवरण होगा:-

(क) वर्गीकरण

(ख) प्रकार

(ग) श्रेणी

(घ) भाग

(ङ) उप-वर्ग

(च) समूह

(2) दो वर्गीकरण अर्थात् भारत में व्यवसाय और कुल व्यवसाय (जिसमें भारत के अंदर व्यवसाय और भारत के बाहर व्यवसाय निहित हैं) क्रमशः वर्गीकरण कूट 'बीडब्ल्यूआई' और 'बीटी' के साथ होंगे।

(3) दो प्रकार अर्थात् सहभागी (पार्टिसिपेटिंग) और लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग)

क्रमशः कूट 'पीएआर' और 'एनपीएआर' के साथ होंगे।

(4) प्रत्येक प्रकार के अंतर्गत चार श्रेणियाँ होंगी अर्थात् ,

(क) असंबद्ध (परिवर्ती बीमा उत्पादों को छोड़कर अन्य उत्पाद) जो श्रेणी कूट 'एनएल' के साथ होंगे।

(ख) यूनिट-सहबद्ध (परिवर्ती बीमा उत्पादों को छोड़कर अन्य उत्पाद) जो श्रेणी कूट 'यूएल' के साथ होंगे।

(ग) असंबद्ध परिवर्ती बीमा उत्पाद जो श्रेणी कूट 'वीआईपी-एनएल' के साथ होंगे।

(घ) संबद्ध परिवर्ती बीमा उत्पाद जो श्रेणी कूट 'वीआईपी-एल' के साथ होंगे।

- (5) दो भाग अर्थात् वैयक्तिक व्यवसाय और सामूहिक व्यवसाय, प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत क्रमशः भाग कूट 'आई' और 'जी' के साथ होंगे।
- (6) चार उप-वर्ग अर्थात् जीवन व्यवसाय, पेंशन व्यवसाय, साधारण वार्षिकी व्यवसाय और स्वास्थ्य बीमा व्यवसाय, उप-वर्ग कूट 'एल', 'पी', 'ए' और 'एचएल' के साथ होंगे।
- (7) सहभागी प्रकार के अंतर्गत वैयक्तिक भाग के उप-वर्ग – जीवन व्यवसाय के अंतर्गत दो समूह अर्थात् तत्काल सहभागिता और आस्थगित सहभागिता होंगे जो क्रमशः 'आई-पीएआर' और 'डी-पीएआर' समूह कूट के साथ होंगे।
- (8) साधारण वार्षिकी व्यवसाय के उप वर्ग के अंतर्गत दो समूह अर्थात् तत्काल वार्षिकी और आस्थगित वार्षिकी होंगे जो समूह कूट 'आईए' और 'डीए' के साथ होंगे।
- (9) असंबद्ध श्रेणी के अंतर्गत सामूहिक व्यवसाय के भाग के अंतर्गत जीवन व्यवसाय के उप वर्ग में दो समूह अर्थात् एक वर्ष से अनधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम तथा एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम होंगे जो क्रमशः समूह कूट 'एनजीपी' और 'जीपी' के साथ होंगे।
- (10) यूनिट-सहबद्ध, असंबद्ध परिवर्ती बीमा उत्पाद और संबद्ध परिवर्ती बीमा उत्पाद की श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत दो समूह अर्थात् गारंटी सहित एवं गारंटी रहित होंगे जो क्रमशः समूह कूट 'डब्ल्यूजी' और 'डब्ल्यूओजी' के साथ होंगे।
- (11) उन फार्मों के लिए "शून्य" (निल) विवरण प्रस्तुत किये जाएँगे जहाँ बीमाकर्ता के पास कोई लेनदेन न हों।
- (12) सभी आंकड़े हजार में प्रस्तुत किये जाएँगे और सभी राशियाँ भारतीय रुपयों में प्रस्तुत की जाएँगी।
- (13) सामूहिक व्यवसाय के संबंध में जहाँ भी लागू हो वहाँ फार्मों में 'पॉलिसियों की संख्या' को 'योजनाओं की संख्या' के रूप में पढ़ा जाएगा।

11. निरसन और बचत

- (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख को तथा उस तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2000 को अधिक्रमित माना जाएगा।
- (2) तथापि, इन विनियमों के प्रारंभ होने से पहले जो कुछ भी किया गया अथवा किये जाने के लिए छोड़ दिया गया, उनके संबंध में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2000 द्वारा उनका नियंत्रित होना जारी रहेगा।

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | ख) एकल प्रीमियम संविदाएँ | | | | | | | | | | | | |
| | ग) पूर्णतः प्रदत्त | | | | | | | | | | | | |
| | घ) न्यूनीकृत प्रदत्त | | | | | | | | | | | | |
| 03 | पुनर्बीमा के बाद कुल जोड़: | | | | | | | | | | | | |
| | क) नियमित प्रीमियम संविदाएँ | | | | | | | | | | | | |
| | ख) एकल प्रीमियम संविदाएँ | | | | | | | | | | | | |
| | ग) पूर्णतः प्रदत्त | | | | | | | | | | | | |
| | घ) न्यूनीकृत प्रदत्त | | | | | | | | | | | | |

टिप्पणियाँ :

1. सभी आंकड़े हजार में प्रस्तुत किये जाएँ
2. सामूहिक व्यवसाय के संबंध में, स्तंभ: 'पॉलिसियों की संख्या' के अंतर्गत सामूहिक योजनाओं की संख्या प्रस्तुत की जाएगी;
3. 'प्रीमियम' से वार्षिकीकृत प्रीमियम निर्दिष्ट है
4. 'एकल प्रीमियम' में तत्काल अथवा आस्थगित वार्षिकियों और संविदाओं के प्रारंभ में प्रदत्त सभी अन्य प्रीमियमों का आशय शामिल है तथा परवर्ती कोई प्रीमियम देय नहीं है। मूल्यांकन वर्ष में संगृहीत समस्त एकल प्रीमियम प्रस्तुत किया जाएगा।
5. 'बीमित राशि' का आशय पॉलिसी की प्रचलित अवधि के दौरान मृत्यु पर देय राशि/ अन्य आकस्मिकताओं से है।

फार्म डीडीडी
(विनियम 4 देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय की बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016

समाप्त वर्ष के लिए पॉलिसियों में परिवर्धन और विलोपन

31 मार्च ____

बीमाकर्ता का नाम:
वर्गीकरण:
प्रकार:
श्रेणी:
भाग:
उप-वर्ग:
समूह:

पंजीकरण की तारीख:
पंजीकरण की संख्या:

फार्म कूट:
वर्गीकरण कूट:
प्रकार कूट:
श्रेणी कूट:
भाग कूट:
उप-वर्ग कूट:
समूह कूट:

| क्रम सं. | विवरण | पॉलिसियों की संख्या | मृत्यु/स्वास्थ्य लाभ राशि | परिपक्वता लाभ बीमित राशि | वार्षिकीकृत प्रीमियम | बीमाकृत अनुवृद्धि राशि | अनुवृद्धि प्रीमियम | वार्षिकी प्रति वर्ष | निहित बोनस |
|----------|---|---------------------|---------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|---------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 01 | प्रारंभिक शेष | | | | | | | | |
| 02 | नया व्यवसाय | | | | | | | | |
| 03 | पुनःस्थापन | | | | | | | | |
| 04 | पुनःप्रवर्तन | | | | | | | | |
| 05 | बोनस परिवर्धन | | | | | | | | |
| 06 | परिवर्तन और वृद्धि | | | | | | | | |
| 07 | कुल जोड़ (टोटल ऑन) | | | | | | | | |
| 08 | मृत्यु | | | | | | | | |
| 09 | मृत्यु को छोड़कर बीमाकृत उत्तरजीविता अथवा आकस्मिकताओं का घटना | | | | | | | | |
| 10 | अस्थायी बीमा के अंतर्गत अवधि की समाप्ति | | | | | | | | |
| 11 | पॉलिसी का अभ्यर्पण | | | | | | | | |
| 12 | बोनस का अभ्यर्पण | | | | | | | | |
| 13 | समपहरण / व्यपगमन | | | | | | | | |
| 14 | प्रदत्त | | | | | | | | |
| 15 | प्रारंभ न की गई | | | | | | | | |
| 16 | परिवर्तन और कमी | | | | | | | | |
| 17 | कुल जोड़ (टोटल ऑफ) | | | | | | | | |
| 18 | अंतिम शेष | | | | | | | | |

टिप्पणियाँ :

- 1 सभी आंकड़े अवश्य हजार में दिये जाने चाहिए।
- 2 सामूहिक व्यवसाय के संबंध में 'पॉलिसियों की संख्या' के स्तंभ के अंतर्गत सामूहिक योजनाओं की संख्या दी जाएगी;
- 3 0.80%
- 4 अनुवृद्धि प्रीमियम' वार्षिकीकृत अनुवृद्धि प्रीमियम को निर्दिष्ट करता है।
- 5 बीमित अनुवृद्धि राशि' अनुमोदित फाइल और उपयोग अनुप्रयोग में यथापरिभाषित अनुवृद्धि की बीमित राशि है।
- 6 वार्षिकीकृत प्रीमियम में एकल प्रीमियम का 10% शामिल होगा।
- 7 प्रदत्त में दोनों न्यूनिकृत प्रदत्त और पूर्णतः प्रदत्त पॉलिसियाँ निर्दिष्ट होंगी।

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 15 | सामान्य वार्षिकी | पुनर्बीमा से पहले | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | पुनर्बीमा के बाद | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | स्वास्थ्य | पुनर्बीमा से पहले | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | पुनर्बीमा के बाद | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | कुल व्यवसाय | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | कुल जोड़ | पुनर्बीमा से पहले | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | पुनर्बीमा के बाद | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 0.80% | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| टिप्पणियाँ : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | स्तंभ(19)= स्तंभ (11) + स्तंभ(12) +स्तंभ (13) +स्तंभ (14) + स्तंभ (15)+ स्तंभ(16)+ स्तंभ (17) - स्तंभ (18) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | स्तंभ (22) = अधिकतम { स्तंभ (19) + स्तंभ (20), स्तंभ (21)} | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | स्तंभ (21) = अधिकतम { विशेष अभ्यर्पण मूल्य, गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य} | | | | | | | | | | | | | | | | | |

फार्म यूएलबी 2
(विनियम 4 देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016
बीमाकर्ता द्वारा अपने यूनिट सहबद्ध व्यवसाय के लिए अनुरक्षित वियोजित निधियों के लिए निवल आस्ति मूल्यों का विवरण
31 मार्च ____

बीमाकर्ता का नाम:
वर्गीकरण:
प्रकार:
श्रेणी:

पंजीकरण की तारीख:
पंजीकरण संख्या:

फार्म कूट:
वर्गीकरण कूट:
प्रकार कूट:
श्रेणी कूट:

| मद सं. | निधि मूल्य विवरण | जीवन | | | | | पेंशन | | | | | सामान्य वार्षिकी | | स्वास्थ्य | | कुल |
|--------|--|----------|--------|---------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|-------|------------------|-------|-----------|-------|------|
| | | निधि - 1 | निधि-2 | निधि -3 | निधि - 4 | | निधि - 1 | निधि - 2 | निधि - 3 | निधि - 4 | | निधि - 1 | | निधि - 1 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 01 | पिछले वर्ष से आगे लाया गया | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | यूनिटों के निर्माण का मूल्य | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | वित्तीय वर्ष में निवेशों के मूल्य में वृद्धि (कमी) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ** अन्य आय | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | कुल आय (01 से 04 तक का जोड़) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | यूनिटों के निरसन का मूल्य | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | निधि प्रबंधन प्रभार | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | प्रबंधन प्रभार | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | प्रदत्त कर | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | अन्य व्यय | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | प्रावधानों में वृद्धि (कमी) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | कुल व्यय (06 से 11 तक का जोड़) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | आगे ले जाई गई निधि | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | यूनिटों की कुल संख्या: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | प्रति यूनिट निवल आस्ति मूल्य | | | | | | | | | | | | | | | |

टिप्पणियाँ :

- 1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए
- 2 स्तंभ (3), स्तंभ (4), स्तंभ (5), स्तंभ (6) आदि के अंतर्गत मदों को अवश्य कंपनी के वार्षिक लेखों से आगे लाया जाना चाहिए।

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | गारंटियों के बिना: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | | पुनर्बीमा से पहले | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | | पुनर्बीमा के बाद | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | स्वास्थ्य | गारंटियों के साथ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | | पुनर्बीमा से पहले | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | | पुनर्बीमा के बाद | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | गारंटियों के बिना: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | | पुनर्बीमा से पहले | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | | पुनर्बीमा के बाद | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | कुल व्यवसाय | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | कुल जोड़ | गारंटियों के साथ: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 33 | | पुनर्बीमा से पहले | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | | पुनर्बीमा के बाद | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | गारंटियों के बिना: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | | पुनर्बीमा से पहले | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | | पुनर्बीमा के बाद | | | | | | | | | | | | | | | | | |

टिप्पणियाँ :

- 1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए
- 2 स्तंभ (14) = स्तंभ (11) + स्तंभ (12) + स्तंभ (13)
- 3 स्तंभ (17) = अधिकतम { स्तंभ (14) + स्तंभ (15), स्तंभ (16)}
- 4 स्तंभ (16) = अधिकतम { विशेष अभ्यर्पण मूल्य, गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य }

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | करें) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य 7 (परिभाषित करें) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य 8 (परिभाषित करें) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य 9 (परिभाषित करें) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य 10 (परिभाषित करें) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | कुल पुनर्बीमा से पहले | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | अध्यर्पित पुनर्बीमा | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | पुनर्बीमा के बाद कुल जोड़ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>टिप्पणियाँ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए 2 स्तंभ (19)= स्तंभ (11) + स्तंभ (12) + स्तंभ (13) + स्तंभ (14) + स्तंभ (15)+ स्तंभ (16) + स्तंभ (17) - स्तंभ (18) 3 स्तंभ (22) = अधिकतम { स्तंभ (19) + स्तंभ (20), स्तंभ (21)} 4 स्तंभ (21) = अधिकतम { विशेष अभ्यर्पण मूल्य, गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य} | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | एडीडीवी | | | | | | | | | | | | | |
| | एडीवी | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | वैश्विक रिज़र्व | | | | | | | | | | | | | |
| | व्यपगमन रिज़र्व | | | | | | | | | | | | | |
| | आईबीएनआर | | | | | | | | | | | | | |
| | अतिरिक्त प्रीमियम | 0.80% | | | | | | | | | | | | |
| | विकल्पों और गारंटियों के लिए प्रावधान | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य 1 (परिभाषित करें) | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य 2 (परिभाषित करें) | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य 3 (परिभाषित करें) | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य 4 (परिभाषित करें) | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य 5 (परिभाषित करें) | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य 6 (परिभाषित करें) | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य 7 (परिभाषित करें) | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य 8 (परिभाषित करें) | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य 9 (परिभाषित करें) | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य 10 (परिभाषित करें) | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | कुल पुनर्बीमा से पहले | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | अध्यपित पुनर्बीमा | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | कुल पुनर्बीमा के बाद | | | | | | | | | | | | | |

टिप्पणियाँ :

- 1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए
- 2 स्तंभ (13) = स्तंभ (10) + स्तंभ (11) + स्तंभ (12)
- 3 स्तंभ(16) = अधिकतम { स्तंभ (13) + स्तंभ (14), स्तंभ (15)}
- 4 स्तंभ(15) = अधिकतम { विशेष अभ्यर्पण मूल्य, गारंटीकृत अभ्यर्पण मूल्य}

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 07 | संचालन प्रभार | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | प्रबंधन प्रभार | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | अन्य प्रभार (यदि कोई हो) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | प्रदत्त कर | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | अन्य व्यय | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | प्रावधानों में वृद्धि (कमी) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | कुल व्यय (06 से 11 तक को योग) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | आगे ले जाया गया पॉलिसी खाता मूल्य | | | | | | | | | | | | | | | | |

टिप्पणियाँ :

- 1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए और अवश्य कंपनी के वार्षिक लेखा-परीक्षित खातों के साथ सुसंगत होने चाहिए

| | | |
|-------------------|------------|---|
| बीमाकर्ता का नाम: | फार्म कूट: | फार्म एच (विनियम 4 देखें) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए वीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 निम्नलिखित तारीख को मूल्यांकन का संक्षिप्त विवरण 31 मार्च ____ |
| | | पंजीकरण की तारीख: पंजीकरण संख्या: |

| मद सं. | प्रकार | व्यवसाय की श्रेणी | गणितीय रिज़र्व (आवंटित बोनसों की लागत सहित) |
|--------|-------------------------------------|---|---|
| (1) | | (2) | (3) |
| | | भारत के अंदर व्यवसाय: | |
| 01 | सहभागी | असंबद्ध व्यवसाय | |
| 02 | | यूनिट सहवद्ध व्यवसाय | |
| 03 | | वीआईपी-असंबद्ध व्यवसाय | |
| 04 | | वीआईपी-संबद्ध व्यवसाय | |
| 05 | | कुल (मद (1) से (4) तक का योग) | |
| 06 | नाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) | असंबद्ध व्यवसाय | |
| 07 | | यूनिट सहवद्ध व्यवसाय | |
| 08 | | वीआईपी-असंबद्ध व्यवसाय | |
| 09 | | वीआईपी-संबद्ध व्यवसाय | |
| 10 | | कुल (मद (6) से (9) तक का योग) | |
| 11 | | कुल जोड़ (मद (5) और (10) का योग) | |
| | | कुल व्यवसाय: | |
| 12 | सहभागी | असंबद्ध व्यवसाय | |
| 13 | | यूनिट सहवद्ध व्यवसाय | |
| 14 | | वीआईपी-असंबद्ध व्यवसाय | |
| 15 | | वीआईपी-संबद्ध व्यवसाय | |

| | | |
|----|-------------------------------------|---|
| 16 | | कुल (मद (12) से (15) तक का योग) |
| 17 | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) | असंबद्ध व्यवसाय |
| 18 | | यूनिट सहबद्ध व्यवसाय |
| 19 | | वीआईपी-असंबद्ध व्यवसाय |
| 20 | | वीआईपी-संबद्ध व्यवसाय |
| 21 | | कुल (मद (17) से (20) तक का योग) |
| 22 | | कुल जोड़ (मद (16) से (21) तक का योग) |

टिप्पणी:

- 1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए
- 2 गणितीय रिज़र्व स्तंभ (3) में आबंटित बोनसों की लागत सहित दिये जाएँगे

फार्म आईए (लाभरहित)(नॉन-पार्टिसिपेटिंग)
(बि नियम 4 देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए वीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016

निम्नलिखित तारीख को मूल्यांकन परिणाम

31 मार्च _____

बीमाकर्ता का नाम:
वर्गीकरण:
प्रकार:

पंजीकरण की तारीख:
पंजीकरण संख्या:

फार्म कूट:
वर्गीकरण कूट:
प्रकार कूट:

| मद सं. | विवरण | तुलन-पत्र में दर्शाया गया तिथि शेष | गणितीय रिज़र्व (आबंटित बोनसों की लागत को छोड़कर) | अधिशेष |
|--------|--|------------------------------------|--|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 01 | भारत के अंदर व्यवसाय: | | | |
| | असंबद्ध | | | |
| | क लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन | | | |
| | ख लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन | | | |

| | | | | | |
|-------------------------------------|-----|---|--|--|--|
| | ग | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - वार्षिकी | | | |
| | घ | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - स्वास्थ्य | | | |
| | | यूनिट-सहबद्ध | | | |
| | ङ | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन | | | |
| | च | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन | | | |
| | छ | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - वार्षिकी | | | |
| | ज | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - स्वास्थ्य | | | |
| | | बीजआईपी | | | |
| | झ | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन | | | |
| | ञ | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन | | | |
| | | | | | |
| 02 | | कुल जोड़ - पॉलिसीधारक निधियाँ - भारत के अंदर | | | |
| | | | | | |
| 03 | | कुल व्यवसाय | | | |
| | | वसंबद्ध | | | |
| | क | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन | | | |
| | ख | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन | | | |
| | ग | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - वार्षिकी | | | |
| | घ | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - स्वास्थ्य | | | |
| | | यूनिट-सहबद्ध | | | |
| | ङ | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन | | | |
| | च | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन | | | |
| | छ | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - वार्षिकी | | | |
| | ज | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - स्वास्थ्य | | | |
| | ### | बीजआईपी | | | |
| | झ | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - जीवन | | | |
| | ञ | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ - पेंशन | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 04 | | कुल जोड़ - पॉलिसीधारक निधियाँ | | | |
| टिप्पणियाँ : | | | | | |
| 1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए | | | | | |
| 2 स्तंभ (5) = स्तंभ (3) - स्तंभ (4) | | | | | |

| | | |
|--|--------------------------------------|--|
| फार्म आईए (सहभागी) (विनियम 4 देखें) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए वीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 निम्नलिखित तारीख को मूल्यांकन परिणाम 31 मार्च ____ | | |
| बीमाकर्ता का नाम: वर्गीकरण: प्रकार: | पंजीकरण की तारीख: पंजीकरण संख्या: | फार्म कूट: वर्गीकरण कूट: प्रकार कूट: |

| मद सं. | | विवरण | तुलन-पत्र में दर्शाया गया तिथि शेष | गणितीय रिज़र्व (अभटित बोनसों की लागत को छोड़कर) | अधिशेष |
|--------|---|------------------------------|------------------------------------|---|--------|
| (1) | | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 01 | | भारत के अंदर व्यवसाय: | | | |
| | | वसंबद्ध | | | |
| | क | जीवन | | | |
| | ख | पेंशन | | | |
| | ग | वार्षिकी | | | |
| | घ | स्वास्थ्य | | | |
| | | वसंबद्ध वीआईपी | | | |
| | क | जीवन | | | |
| | ख | पेंशन | | | |
| | ग | वार्षिकी | | | |
| | घ | स्वास्थ्य | | | |
| | | यूनिट सहबद्ध | | | |
| | क | जीवन | | | |
| | ख | पेंशन | | | |
| | ग | वार्षिकी | | | |
| | घ | स्वास्थ्य | | | |
| | | संबद्ध वीआईपी | | | |
| | क | जीवन | | | |
| | ख | पेंशन | | | |
| | ग | वार्षिकी | | | |

| | | | | | |
|----|-----|--|--|--|--|
| | घ | स्वास्थ्य | | | |
| 02 | | कुल जोड़ - पाँचसौषारक नियमों - भारत के अंदर | | | |
| 03 | | कुल व्यवसाय | | | |
| | | असंबद्ध | | | |
| | क | जीवन | | | |
| | ख | पेशन | | | |
| | ### | वार्षिकी | | | |
| | घ | स्वास्थ्य | | | |
| | | असंबद्ध वीआईपी | | | |
| | क | जीवन | | | |
| | ख | पेशन | | | |
| | ग | वार्षिकी | | | |
| | घ | स्वास्थ्य | | | |
| | | यूनिट सहबद्ध | | | |
| | क | जीवन | | | |
| | ख | पेशन | | | |
| | ग | वार्षिकी | | | |
| | घ | स्वास्थ्य | | | |
| | | संबद्ध वीआईपी | | | |
| | क | जीवन | | | |
| | ख | पेशन | | | |
| | ग | वार्षिकी | | | |
| | घ | स्वास्थ्य | | | |
| 04 | | कुल जोड़ - पाँचसौषारक नियमों | | | |

टिप्पणियाँ :

- 1 सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए
- 2 स्तंभ (5) = स्तंभ (3) - स्तंभ (4)

| फार्म आई (विनियम 4 देखें) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए वीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 निम्नलिखित तारीख को मूल्यांकन परिणाम 31 मार्च ____ | | | | |
|--|---|---|------------------------------------|--|
| | | बीमाकर्ता का नाम: | पंजीकरण की तारीख: | फार्म कूट: |
| | | वर्गीकरण: | पंजीकरण संख्या: | वर्गीकरण कूट: |
| मद सं. | | विवरण | तुलन-पत्र में दर्शाया गया निधि शेष | गणितीय रिज़र्व (आबंटित बोनसों की लागत को छोड़कर) |
| (1) | | (2) | (3) | (4) |
| | | | | अधिशेष |
| 01 | | भारत के अंदर व्यवसाय: | | |
| | क | सहभागी पॉलिसियाँ | | |
| | ख | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ | | |
| 02 | | कुल जोड़ - पॉलिसीधारक निधियाँ - भारत के अंदर | | |
| 03 | | कुल व्यवसाय | | |
| | क | सहभागी पॉलिसियाँ | | |
| | ख | लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) पॉलिसियाँ | | |
| 04 | | कुल - पॉलिसीधारक निधियाँ | | |

टिप्पणी:

- सभी आंकड़े हजार में होने चाहिए।
- स्तंभ (5) = स्तंभ (3) - स्तंभ (4)
- स्तंभ (3) में दर्शाये गये आंकड़ों में पॉलिसीधारक निधि में अधिशेष शामिल है; यह शेयरधारक निधि में किसी अंतरण के किये जाने से पहले आस्तियों की तुलन-पत्र स्थिति है।
- (3) में दर्शाये गये आंकड़ों और (5) में दर्शाये गये अधिशेष में भी कुछ खंडों में कमी पूरी करने के लिए पॉलिसीधारक निधि में शेयरधारक अंतरण शामिल है।
- सममूल्य व्यवसाय के लिए स्तंभ (3) में दर्शाये गये आंकड़ों में अंतर मूल्यांकन अवधि के दौरान पॉलिसीधारक को अदा किये गये अंतरिम और अंतिम बोनस की राशि शामिल नहीं है जो रुपये X है।

| फार्म आईआरडीएआई-आस्तियाँ-एए (विनियम 4 देखें) | | | |
|---|-----------------------------|--|---------------|
| | | भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए वीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 | |
| | | निम्नलिखित तारीख को आस्तियों का विवरण | |
| | | 31 मार्च ____ | |
| बीमाकर्ता का नाम: | | पंजीकरण की तारीख: | फार्म कूट: |
| वर्गीकरण: | | पंजीकरण संख्या: | वर्गीकरण कूट: |
| फार्म एए | | | |
| ब्योरा (राशि 000 में) | पॉलिसीधारकों का खाता | शेयरधारकों का खाता | कुल |
| निवेश | | | |
| निवेश शेयरधारक अनुसूची 8(ए) | | | - |
| पॉलिसीधारक अनुसूची- 8ए..... (बी) | | | - |
| संबद्ध देयताओं की व्यवस्था हेतु धारित आस्तियाँ अनुसूची-8बी.....(सी) | | | - |
| | | | - |
| बीएस के अनुसार कुल निवेश ————— (डी)=(ए)+(बी)+(सी) | | | - |
| अस्वीकार्य निवेश आस्तियाँ***.....(ई) | | | - |
| | | | - |
| अचल आस्तियाँ | | | |
| बीएस के अनुसार अचल आस्तियाँ ————— (एफ) | | | - |
| अस्वीकार्य अचल आस्तियाँ*** (जी) | | | - |
| | | | - |
| चाफू आस्तियाँ | | | |
| बीएस के अनुसार नकदी और बैंकों में शेष (एच) | | | - |
| बीएस के अनुसार अग्रिम और अन्य आस्तियाँ (आई) | | | - |
| बीएस के अनुसार कुल चाफू आस्तियाँ ————— (जे) = (एच) + (आई) | | | - |

| | | | | |
|---|--|---|---|---|
| अस्वीकार्य चालू आस्तियाँ*** ----- (के) | | | | - |
| चालू देयताएँ और प्रावधान | | | | |
| बीएस के अनुसार चालू देयताएँ----- (एल) | | | | - |
| बीएस के अनुसार प्रावधान----- (एम) | | | | - |
| कुल चालू देयताएँ और प्रावधान --- (एन) = (एल) + (एम) | | | | - |
| | | | | |
| पॉलिसी ऋण | | | | |
| बीएस के अनुसार पॉलिसी और अन्य स्वीकार्य ऋण ----- (ओ) | | 0 | | 0 |
| न्यूनतम मूल्य के अधीन उचित मूल्य परिवर्तन खाता----- (पी) | | | | |
| | | | | |
| बीएस के अनुसार कुल आस्तियाँ ----- (क्यू) = (डी) + (एफ) + (जे) - (एन) + (ओ) | | 0 | - | 0 |
| कुल अस्वीकार्य आस्तियाँ ----- (आर) = (ई) + (जी) + (के) + (पी) | | - | - | - |
| शोधन क्षमता के लिए कुल स्वीकार्य आस्तियाँ---(क्यू)-(आर) | | 0 | - | 0 |
| | | | | |

टिप्पणी: पॉलिसीधारक की आस्ति (अनुसूची 8ए) में संबद्ध व्यवसाय की गैर-यूनिट देयताओं का समर्थन करनेवाली आस्तियाँ शामिल की जानी चाहिए। तथापि, अनुसूची 8बी में केवल यूनिट देयताओं का समर्थन करनेवाली आस्तियाँ ही शामिल की जाएँगी।

***आईआरडीएआई (एएलएसएम विनियम), 2016 की अनुसूची-1 के खंड-1 के अनुसार अस्वीकार्य आस्तियाँ

'बीएस' 'तुलन-पत्र' को निर्दिष्ट करता है

| | | | | | | | | | | | | | |
|----|----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 02 | सहभागी | | | | | | | | | | | | |
| | असंबद्ध | | | | | | | | | | | | |
| |द्वारा भाग / उप-वर्ग / समूह | | | | | | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | संबद्ध | | | | | | | | | | | | |
| |द्वारा भाग / उप-वर्ग / समूह | | | | | | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | नीवाड़ी असंबद्ध | | | | | | | | | | | | |
| |द्वारा भाग / उप-वर्ग / समूह | | | | | | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | नीवाड़ी संबद्ध | | | | | | | | | | | | |
| |द्वारा भाग / उप-वर्ग / समूह | | | | | | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | कुल - सहभागी | | | | | | | | | | | | |
| 03 | कुल जोड़ | | | | | | | | | | | | |

- (1) के¹ = 0.85^a अथवा (गणितीय रिज़र्व पुनर्बीमा के बाद / गणितीय रिज़र्व पुनर्बीमा से पहले), जो भी उच्चतर हो।
- (2) के² = 0.5 अथवा (पुनर्बीमा के बाद जोखिम पर राशि/पुनर्बीमा से पहले जोखिम पर राशि), जो भी उच्चतर हो।
- (3) स्तंभ (11) = [स्तंभ (3) x स्तंभ (5) x स्तंभ (9)] + [स्तंभ (6) x स्तंभ (8) x स्तंभ (10)]
- (4) जोखिम पर कुल राशि के परिकलन में, उन संविदाओं की उपेक्षा करें जिनके लिए जोखिम पर राशि एक ऋणात्मक अंक हो अथवा उसका अस्तित्व न हो।
- (5) पहला और दूसरा घटक क्रमशः एकम% और वार्ड% हैं।
- (6) प्रत्येक पंक्ति के लिए के¹ और के² का परिकलन अलग से किया जाएगा।

| व्यपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्किंग (आरएसएम) कारक | | |
|---|----------------|------------|
| | वर्तमान | |
| | पहला कारक | दूसरा कारक |
| 1. प्रकार: लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) | | |
| 1.1. श्रेणी : असंबद्ध: | | |
| 1.1.1. भाग - वैयक्तिक | | |
| 1.1.1.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय | | |
| 1.1.1.1.क. टर्म को छोड़कर अन्य | 3.00% | 0.30% |
| 1.1.1.1.ख. पूर्णतः टर्म | 3.00% | 0.10% |
| 1.1.1.1.ग. आरश्रेणी के साथ टर्म | 3.00% | 0.10% |
| 1.1.1.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी | 3.00% | 0.00% |
| 1.1.1.3. उप-वर्ग - पेंशन | 3.00% | 0.30% |
| 1.1.1.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य | 3.00% | 0.00% |
| 1.1.2. भाग: सामूहिक व्यवसाय: | | |
| 1.1.2.1. उप-वर्ग: जीवन व्यवसाय : | | |
| 1.1.2.1.क. एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम | 1.00% | 0.10% |
| 1.1.2.1.ख. एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम | 1.00% | 0.10% |
| 1.1.2.1.ग. निधि आधारित लाभरहित (नॉन-पार्टिसिपेटिंग) | 1.00% | 0.10% |
| 1.1.2.2. उप-वर्ग: सामान्य वार्षिकी | 3.00% | 0.00% |
| 1.1.2.3. उप-वर्ग: पेंशन | 3.00% | 0.10% |
| 1.1.2.4. उप-वर्ग- स्वास्थ्य | 3.00% | 0.00% |
| 1.2. श्रेणी: संबद्ध : | | |

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| 1.2.1. भाग - वैयक्तिक | | |
| 1.2.1.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय | | |
| 1.2.1.1.क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.20% |
| 1.2.1.1.ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.20% |
| 1.2.1.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी | | |
| 1.2.1.2.क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.20% |
| 1.2.1.2.ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.20% |
| 1.2.1.3. उप-वर्ग- पेंशन | | |
| 1.2.1.3.क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.20% |
| 1.2.1.3.ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.20% |
| 1.2.1.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य | | |
| 1.2.1.4. क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.00% |
| 1.2.1.4. ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.00% |
| | | |
| 1.2.2. भाग : सामूहिक व्यवसाय : | | |
| 1.2.2.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय | | |
| 1.2.2.1.क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.20% |
| 1.2.2.1.ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.20% |
| 1.2.2.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी | | |
| 1.2.2.2.क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.20% |
| 1.2.2.2.ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.20% |
| 1.2.2.3. उप-वर्ग - पेंशन | | |
| 1.2.2.3.क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.20% |
| 1.2.2.3.ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.20% |
| 1.2.2.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य | | |
| 1.2.2.4.क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.00% |
| 1.2.2.4.ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.00% |
| | | |

| | | |
|---|-------|-------|
| 2. प्रकार : सहभागी | | |
| 2.1. श्रेणी : असंबद्ध : | | |
| 2.1.1. भाग - वैयक्तिक | | |
| 2.1.1.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय | 3.00% | 0.30% |
| 2.1.1.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी | 3.00% | 0.00% |
| 2.1.1.3. उप-वर्ग - पेंशन | 3.00% | 0.10% |
| 2.1.1.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य | 3.00% | 0.00% |
| 2.1.2. भाग : सामूहिक व्यवसाय : | | |
| 2.1.2.1. उप-वर्ग : जीवन व्यवसाय : | | |
| 2.1.2.1.क. एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम | 1.00% | 0.10% |
| 2.1.2.1.ख. एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए गारंटीकृत प्रीमियम | 1.00% | 0.10% |
| 2.1.2.1.ग. निधि आधारित सहभागिता | 1.00% | 0.10% |
| 2.1.2.2. उप-वर्ग : सामान्य वार्षिकी | 3.00% | 0.00% |
| 2.1.2.3. उप-वर्ग : पेंशन | 3.00% | 0.10% |
| 2.1.2.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य | 3.00% | 0.00% |
| 2.2. श्रेणी: संबद्ध : | | |
| 2.2.1. भाग - वैयक्तिक | | |
| 2.2.1.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय | | |
| 2.2.1.1.क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.20% |
| 2.2.1.1.ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.20% |
| 2.2.1.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी | | |
| 2.2.1.2.क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.20% |
| 2.2.1.2.ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.20% |
| 2.2.1.3. उप-वर्ग - पेंशन | | |

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| 2.2.1.3.क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.20% |
| 2.2.1.3.ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.20% |
| 2.2.1.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य | | |
| 2.2.1.4.क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.00% |
| 2.2.1.4.ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.00% |
| 2.2.2. भाग : सामूहिक व्यवसाय : | | |
| 2.2.2.1. उप-वर्ग - जीवन व्यवसाय | | |
| 2.2.2.1.क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.20% |
| 2.2.2.1.ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.20% |
| 2.2.2.2. उप-वर्ग - सामान्य वार्षिकी | | |
| 2.2.2.2.क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.20% |
| 2.2.2.2.ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.20% |
| 2.2.2.3. उप-वर्ग - पेंशन | | |
| 2.2.2.3.क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.20% |
| 2.2.2.3.ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.20% |
| 2.2.2.4. उप-वर्ग - स्वास्थ्य | | |
| 2.2.2.4. क. गारंटियों के साथ | 1.80% | 0.00% |
| 2.2.2.4. ख. गारंटियों के बिना | 0.80% | 0.00% |

टिप्पणियाँ :

- (1) समायोजनों के लिए लागू कारक आधारभूत उत्पादों के स्वरूप के अनुसार होंगे।
- (2) अनुवृद्धियों (राइडर्स) के लिए लागू कारक नीचे दी गई सारणी के अनुसार होंगे:

| | पहला कारक | दूसरा कारक |
|--|-----------|------------|
| स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धि के लिए | 3.00% | 0.00% |
| स्वास्थ्य बीमा अनुवृद्धि को छोड़कर अन्य के लिए | 3.00% | 0.10% |

| | | |
|--|-------------------|---------------|
| फार्म केटी-2 (विनियम 4 देखें) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए वीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 पॉलिसीधारकों की निधियों की आस्तियों के आधार पर अपेक्षित ऋण शोधन क्षमता मार्जिन 31 मार्च ____ | | |
| बीमाकर्ता का नाम: | पंजीकरण की तारीख: | फार्म कूट: |
| वर्गीकरण: | पंजीकरण संख्या: | वर्गीकरण कूट: |

| मद सं. | आस्ति की श्रेणी | टिप्पणियाँ | राशि (नीचे की टिप्पणियाँ देखें) रु. | तीसरा कारक % | अपेक्षित शोधन क्षमता मार्जिन |
|--------|-----------------------------------|------------|-------------------------------------|--------------|------------------------------|
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | गैर-अधिदेशात्मक निवेश | | | | |
| | कॉरपोरेट बॉण्ड | | | | |
| 01 | एएए अथवा समतुल्य* | | | | |
| 02 | एए अथवा समतुल्य** | | | | |
| 03 | ए अथवा समतुल्य | | | | |
| 04 | वीवीवी अथवा समतुल्य | | | | |
| 05 | वीवी अथवा समतुल्य | | | | |
| 06 | वी अथवा समतुल्य | | | | |
| 07 | वी ये निम्नतर | | | | |
| 08 | अनिर्धारित (अनरेटेड)*** | | | | |
| | बैंक | | | | |
| 09 | आवासीय | | | | |
| 10 | वाणिज्यिक | | | | |
| | स्वावर संपदा (रियल एस्टेट) | | | | |
| 11 | आवासीय | | | | |
| 12 | वाणिज्यिक | | | | |
| | अधिमानी शेयर | | | | |
| 13 | सूचीबद्ध अधिमानी शेयर | | | | |
| 14 | असूचीबद्ध अधिमानी शेयर | | | | |
| | इंफिटी | | | | |

| | | | | | |
|----|-----------------------|--|--|--|--|
| 15 | सूचीबद्ध साधारण शेयर | | | | |
| 16 | असूचीबद्ध साधारण शेयर | | | | |
| 17 | कुल | | | | |

टिप्पणियाँ :

- (1) स्तंभ (5) = स्तंभ (3) X स्तंभ (4)
 (2) स्तंभ (4) = प्राधिकरण से अगली सूचना प्राप्त होने तक शून्य
 (3) इस सारणी में स्तंभ (3) में वह राशि दर्शानी चाहिए जो उपर्युक्त श्रेणी की आस्ति के संबंध में तुलन-पत्र मूल्य हो (जहाँ तुलन-पत्र भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा कंपनियों के वित्तीय विवरण और लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तैयारी) विनियम, 2016 के अनुसार तैयार किया गया हो)

| फार्म केटी-3 (विनियम 4 देखें) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए वीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016 उपलब्ध ऋण शोधन क्षमता मार्जिन और शोधन क्षमता अनुपात 31 मार्च ____ | | | |
|---|--|--------------------|----------------|
| बीमाकर्ता का नाम: | | पंजीकरण की तारीख: | फार्म कूट: |
| वर्गीकरण: | | पंजीकरण संख्या: | वर्गीकरण कूट: |
| मद | विवरण | टिप्पणियाँ सं. ... | समायोजित मूल्य |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 01 | पॉलिसीधारकों की निधि में उपलब्ध आस्तियाँ | 1 | |
| | घटाएँ : | | |
| 02 | गणितीय आरक्षित निधियाँ | 2 | |
| 03 | अन्य देयताएँ | 3 | |
| 04 | पॉलिसीधारकों की निधियों में आधिक्य (01-02-03) | | |
| 05 | शेयरधारकों की निधि में उपलब्ध आस्तियाँ : | 4 | |
| | घटाएँ: | | |
| 06 | शेयरधारकों की निधि की अन्य देयताएँ : | 3 | |
| 07 | शेयरधारकों की निधियों में आधिक्य (05-06) | | |
| 08 | कुल एएसएम (04)+(07) | | |

| | | | |
|----|--|--|--|
| 09 | कुल आरएसएम | | |
| 10 | शोधन क्षमता अनुपात (एसएम/ आरएसएम) | | |

प्रमाणीकरण:

मैं, _____, नियुक्त बीमांकक, प्रमाणित करता/ करती हूँ कि उपर्युक्त विवरण बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64 वीए के अनुसार तैयार किये गये हैं तथा इनमें उल्लिखित राशियाँ मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही और उचित हैं।

स्थान:

दिनांक:

नियुक्त बीमांकक का नाम और हस्ताक्षर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर

टिप्पणियाँ :

- मद सं. 1 पॉलिसीधारकों के खाते में फार्म आईआरडीएआई-आस्तियाँ-एए में उल्लिखित रूप में शोधन क्षमता हेतु कुल स्वीकार्य आस्तियों की राशि होगी;
- मद सं. 02 फार्म एच में उल्लिखित रूप में गणितीय आरक्षित निधियों (रिज़र्वों) की राशि होगी;
- मद सं. 03 और 06 तुलन-पत्र में उल्लिखित रूप में अन्य देयताओं की राशि होगी;
- मद सं. 05 शेयरधारकों के खाते में फार्म आईआरडीएआई-आस्तियाँ-एए में यथा उल्लिखित शोधन क्षमता हेतु कुल स्वीकार्य आस्तियों की राशि होगी;

फार्म एस
(विनियम 4 देखें)

भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा व्यवसाय के लिए बीमांकिक रिपोर्ट और सारांश) विनियम, 2016

अधिशेष की संरचना और वितरण

31 मार्च ____

बीमाकर्ता का नाम:

पंजीकरण की तारीख:

फार्म कूट:

वर्गीकरण:

पंजीकरण संख्या:

वर्गीकरण कूट:

प्रकार:

प्रकार कूट:

श्रेणी:

श्रेणी कूट:

| अधिशेष की संरचना | | | | | | |
|------------------|--|------|-------|------------------|-----------|-----|
| | | जीवन | पेंशन | सामान्य वार्षिकी | स्वास्थ्य | कुल |
| 01 | वर्ष में निकला हुआ अधिशेष | | | | | |
| 02 | अंतर मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रदत्त अंतरिम बोनस | | | | | |

| | | | | | | |
|------------------------|---|------|-------|------------------|-----------|-----|
| 03 | अंतर मूल्यांकन अवधि के दौरान प्रदत्त अंतिम बोनस | | | | | |
| 04 | अंतर-मूल्यांकन अवधि में प्रदत्त निष्ठा परिवर्धन या अन्य प्रकार के बोनस, यदि कोई हो | | | | | |
| 05 | अंतर-मूल्यांकन अवधि में शेयरधारकों की निधि से अंतरित राशियाँ | | | | | |
| 06 | पिछले मूल्यांकन से आगे लाई गई, पॉलिसीधारकों की निधियों से अधिशेष की राशि | | | | | |
| 07 | कुल अधिशेष [2] (मद 1 से 6 तक की राशि)** | | | | | |
| अधिशेष का वितरण | | | | | | |
| | | जीवन | पेंशन | सामान्य वार्षिकी | स्वास्थ्य | कुल |
| 01 | प्रदत्त अंतरिम बोनसों के लिए | | | | | |
| 02 | अंतिम बोनसों के लिए | | | | | |
| 03 | निष्ठा परिवर्धनों या किसी अन्य प्रकार के बोनसों के लिए, यदि कोई हो | | | | | |
| 04 | तत्काल सहभागिता सहित पॉलिसीधारकों के बीच | | | | | |
| 05 | आस्थगित सहभागिता से युक्त पॉलिसीधारकों के बीच | | | | | |
| 06 | घटाये गये बोनस वर्ग में पॉलिसीधारकों के बीच | | | | | |
| 07 | प्रत्येक आरक्षित निधि या अन्य निधि या खाते के लिए | | | | | |
| 08 | अविनियोजित और आगे ले जाये गये रूप में | | | | | |
| 09 | शेयरधारकों की निधियों में (अंतर मूल्यांकन अवधि में उक्त खातों के द्वारा अंतरित ऐसी कोई भी राशियाँ अलग से बताई जाएँ) | | | | | |
| 10 | आवंटित कुल अधिशेष (मद 1 से 9 तक का योग) ** | | | | | |

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA**NOTIFICATION**

Hyderabad, the 13th April, 2016

Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016

F. No. IRDAI/Reg/10/122/2016.— In exercise of the powers conferred by clauses (g), (y), (z) and (za) of sub-section (2) of section 114A read with sections 13, 64V and 64 VA of the Insurance Act, 1938, (4 of 1938) and section 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority, in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:-

1. Short title and commencement.-

- (1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016.
- (2) These Regulations shall come into effect from 1st April, 2016 and shall apply to all Insurers carrying on Life Insurance Business.

2. Definitions. --

- (1) In these regulations, unless the context otherwise requires ----
 - (a) "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
 - (b) "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority of India established under sub-section (1) of section 3 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
 - (c) "annualised premium" means regular premium (excluding extra premiums which are required to be shown separately) payable by the policyholder to secure the basic benefits under the policy in a policy year;
 - (d) "extra premium" means a charge for any risk not provided for in the minimum contract premium;
 - (e) "group business" means those insurance contracts of the description known as a 'group policy', where the number of persons covered by the policy is not less than fifty or such smaller number as may be approved by the Authority and a standard form of the policy has been certified in writing by the Authority to be a 'group policy';
 - (f) "guarantees" means the terms in regard to benefits or premiums or charges, which may not be altered during the currency of the policy;
 - (g) "individual business" means individual insurance contracts issued on single/joint lives;
 - (h) "inter valuation period" means, as respects any valuation, the period to the valuation date of that valuation from the valuation date of the preceding valuation in connection with which an abstract was prepared under the Act or under the enactments repealed by the Act, or, in a case where no such valuation has been made in respect of the class of business in question, from the date on which the insurer began to carry on that class of business;
 - (i) "mathematical reserves" means the provision made by an insurer to cover liabilities (excluding liabilities which have fallen due and liabilities arising from deposit back arrangement in relation to any policy whereby an amount is deposited by re-insurer with the cedant) arising under or in connection with policies or contracts of life insurance business. Mathematical reserves also include specific provision for adverse deviations of the bases such as mortality and morbidity rates; interest rates and expense rates; and any explicit provision made in the valuation of liabilities in accordance with the regulations.
 - (j) "maturity date" means a fixed date on which benefit may become payable either absolutely or contingently;

- (k) "non-par policies" or "policies without participation in profits" means policies which are not entitled for any share in surplus (profits) during the term of the policy;
- (l) "options" means the rights available to a policyholder under a policy;
- (m) "par policies" or "policies with participation in profits" means policies which are not non-par policies as defined under sub-regulation (k);
- (n) "policies with deferred participation in profits" means policies entitled for participation in profits after a certain period from the date of commencement of the policy,
- (o) "premium term" means the period during which premiums are payable;
- (p) "riders" or "rider benefits" means add-on benefits which are in addition to basic benefits under a policy;
- (q) "sum at risk", in relation to a life or health insurance policy, means a sum which is-
- i. the amount payable, in any case in which an amount is payable in consequence of death or any other contingencies covered in a manner other than as in clause (ii) below , and
 - ii. the present value of the benefit, in any case in which the benefit under the policy in question consists of the making, in consequence of death or any other contingency, of the payments of annuity, payment of a sum by instalments or any other kind of periodic payments,
- less in either case the mathematical reserves in respect of that policy.
- (r) "valuation date" means as respects any valuation the date as at which the valuation is made;
- (2) All words and expressions used herein and not defined but defined in the Insurance Act, 1938(4 of 1938), or in the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), or in any Rules or Regulations made thereunder shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts, Rules or Regulations.

3. Procedure for Preparation of Actuarial Report and Abstract. —

- (1) The Abstracts and Statements must be so arranged that the number and letters of the paragraphs correspond with Regulation 4.
- (2) The Abstracts and Statements shall be furnished to the Authority, within three months from the end of the period to which they refer to or within thirty days from the date of adoption of accounts by the Board, whichever is earlier.
- (3) There shall be appended to every such Abstract and Statement –
 - (a) 1) Certificate signed by the Chief Executive Officer (CEO) that full and accurate particulars of every policy under which there is a liability, either actual or contingent, has been furnished to the appointed actuary for the investigation; however, exceptions if any, may be brought out along with action being taken to rectify the deficiency in the valuation data.
 - (b) Certificate signed by the Appointed Actuary with his remarks, if any, to the effect that:-
 - i. The data furnished by the CEO has been included in conducting the valuation of liabilities for the purpose of the investigation.
 - ii. He has complied with the provisions of the Act.
 - iii. He has complied with the Actuarial Practice Standards issued by Institute of Actuaries of India with the concurrence of the Authority.
 - iv. Reasonable steps have been taken to ensure the accuracy and completeness of data (if any data deficiency is observed this may be highlighted).
 - v. In his opinion, the mathematical reserves are adequate to meet insurer's future commitments under the contracts, and the policyholders' reasonable expectations.

4. **Requirements Applicable to Abstract and Statements.**—(1) Abstracts and statements shall be prepared separately in respect of ---

- (a) Participating;
- (b) Non-Participating business

(2) An insurer shall prepare the following statements which shall be annexed to the abstract prepared in accordance with these regulations, namely:-

A. Detailed Statements

(a) In respect of Participating Business:

- i. Form DD
- ii. Form DDD
- iii. Form NLB-1
- iv. Form NLB-2
- v. Form VIPNLB 1
- vi. Form VIPNLB 2
- vii. Form VIPLB 1
- viii. Form VIPLB 2
- ix. Form VIPLB 3
- x. Form ULB-1
- xi. Form ULB-2
- xii. Form ULB-3
- xiii. Form IA PAR

(b) In respect of Non-Participating Business

- i. Form DD
- ii. Form DDD
- iii. Form NLB-1
- iv. Form NLB-2
- v. Form VIPNLB 1
- vi. Form VIPNLB 2
- vii. Form VIPLB 1

- viii. Form VIPLB 2
- ix. Form VIPLB 3
- x. Form ULB-1
- xi. Form ULB-2
- xii. Form ULB-3
- xiii. Form IA NPAR

B. Summary statements:

- (a) Statement of Liabilities – Form H
- (b) Statement of Assets - Form AA
- (c) Valuation balance Sheet – Form I
- (d) Form KT1
- (e) Form KT2
- (f) Statement of Available Solvency Margin and Solvency Ratio - Form KT3
- (g) Composition and Distribution of Surplus – Form S

C. Any forms as prescribed by the Authority from time to time

(3) Each Abstract shall show-

- (a) The **Valuation Date**- The date on which valuation (investigation) is done;
- (b) **Products**- A list of all products/riders included in the valuation along with their respective UIN;
- (c) **Foreign Operations**- A brief description of the foreign operations of the insurer, during the inter-valuation period;
- (d) **Valuation data** - The Appointed Actuary shall comment on the steps taken to verify consistency, completeness and accuracy of data provided by the CEO.
- (e) **Valuation Method**.- A brief description of ---
 - (i) the methods adopted in the determination of mathematical reserves in respect of insurance products;
 - (ii) the method by which age at entry, premium term, maturity date, valuation age, period from the valuation date to the maturity date, have been treated for the purpose of valuation;
 - (iii) the manner in which reinsurance has been taken into account in arriving at the valuation reserves net of reinsurance
 - (iv) the method of allowing for-
 - a) incidence of premium income: and

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ii) Single premium and Fully paid up | | | | | | | | | |
| iii) Reduced Paid up | | | | | | | | | |

Notes:

- (i) Summarize the Margins for Adverse Deviations for these parameters.
- (ii) Provide the basis for arriving at the valuation parameters along with experience, if any
- (iii) Summarize and justify any material changes made to the assumptions during the inter-valuation period along with the impact.
- (iv) Specify separately the expenses related to premiums, sum assured, annuity, etc., and per policy under Column (6) of the table;
- (v) Specify items such as terminal bonus in respect of with profit contracts and management charges, unit growth rate, policy account growth rate etc. in respect of linked business under Column (9) of the table;
- (vi) Include items related to Other Provisions, if any, as part of Column (9)

5. **Negative Reserves and Guaranteed Surrender Value Deficiency Reserves-** A brief description of treatment adopted for negative reserves and guaranteed surrender value deficiency reserves shall be furnished.

6. **Return on Assets:** The yield on investment will be the investment income as a percentage of the mean fund over the period, on assets attributable to blocks of business / segments etc. The value of the assets for this purpose shall be the adjusted values of assets using the asset valuation method prescribed in the regulations issued by the Authority on assets, liabilities and solvency margin of life insurance business. The mean fund would be assessed considering the amount and incidence of cash-flow to the fund.

7. **Distribution of surplus.** -- The basis adopted in the distribution of surplus as between the shareholders and the policyholders, and whether such distribution was determined by the instruments constituting the Insurer or by its regulations or by-laws or how otherwise shall be mentioned.

8. **Principles adopted in distribution of profits.**--- The general principles adopted in distribution of profits among policyholders, including statements on following points, shall be furnished:-

- (1) Whether the principles were determined by instruments constituting the insurer, or by its regulations or by-laws or how otherwise;
- (2) The number of years premium to be paid, period to elapse and other conditions to be fulfilled before a bonus is allotted;
- (3) Whether the bonus is allocated in respect of each year's premium paid, or in respect of each calendar year or year of assurance or how otherwise; and
- (4) Whether the bonus vests immediately on allocation, or, if not, conditions of vesting.

9. **Statement of composition of surplus and distribution of surplus in respect of policyholders' funds.**—

- (1) A **Statement of composition of surplus and distribution of surplus in respect of policyholders' funds**, showing total amount of surplus as at the Balance sheet date and the allocation of such surplus, shall be furnished separately for participating business and for non-participating business, with the particulars as mentioned below:-

Composition of Surplus:

- (a) Surplus emerging during the valuation year;
- (b) Interim Bonuses paid during the inter-valuation period;
- (c) Terminal Bonuses paid during the inter-valuation period;
- (d) Loyalty Additions or other forms of bonuses, if any, paid during the inter-valuation period;
- (e) Sum transferred from shareholders' funds during the inter-valuation period;
- (f) Amount of surplus, from policyholders' funds, brought forward from preceding valuation;
- (g) Total Surplus (total of the items (a) to (f)):

Distribution of Surplus:

Policyholders' Fund:

- (a) To Interim Bonuses paid;
- (b) To Terminal Bonuses;
- (c) To Loyalty Additions or any other forms of bonuses, if any;
- (d) Among policyholders with immediate participation giving the number of policies which participated and the sums assured thereunder (excluding bonuses);
- (e) Among policyholders with deferred participation, giving the number of policies which participated and the sums assured thereunder (excluding bonuses);
- (f) To every reserve fund or other fund or account (any such sums passed through the accounts during the inter-valuation period to be separately stated);
- (g) As carried forward un-appropriated.

Share-holders' fund:

- (h) To the shareholders' funds (any such sums passed through the accounts during the inter valuation period to be separately stated);

Totals:

- (i) Total Surplus allocated: (total of the items (a) to (h))
- (2) Specimen of Bonuses allotted to policies for one thousand rupees of benefit together with the amounts apportioned under the various manners in which the bonus is receivable, for each type of participating product, shall be furnished.

10. Notes applicable to all Forms enclosed as annexures

- (1) Each form mentioned under Sub-Regulation (2) of Regulations 4 shall have the following description:-
 - (a) Classification
 - (b) Type

- (c) Category
 - (d) Division
 - (e) Sub-Class
 - (f) Group
- (2) There shall be two Classifications, namely, Business Within India and Total Business (consisting of Business within India and Business outside India), with Classification Codes 'BWI' and 'BT' respectively
 - (3) There shall be two Types, namely, Participating and Non-Participating with codes 'PAR' and 'NPAR' respectively under each classification.
 - (4) There shall be four categories as under each Type namely,
 - (a) Non-Linked (other than Variable Insurance Products)with Category Code 'NL'
 - (b) Unit-Linked (other than Variable Insurance Products)with Category Code 'UL'
 - (c) Non-Linked Variable Insurance Products with category code 'VIP-NL'
 - (d) Linked Variable Insurance Products with category code 'VIP-L'
 - (5) There shall be two Divisions, namely, Individual Business and Group Business, with Division Codes 'I' and 'G' respectively under each Category.
 - (6) There shall be four Sub-Classes, namely, Life Business, Pension Business, General Annuity Business and Health Insurance Business with Sub-Class codes 'L', 'P', 'A', and 'HL'
 - (7) There shall be two Groups, namely, Immediate Participation, Deferred Participation with Group Codes of 'I-PAR' and 'D-PAR' respectively under the Sub Class – Life Business of Individual Division under Participating Type.
 - (8) There shall be two Groups, namely, Immediate Annuity and Deferred Annuity with Group Codes 'IA' and 'DA' under the Sub Class of General Annuity Business.
 - (9) There shall be two Groups, namely, Premiums Guaranteed for not more than one year and Premiums Guaranteed for more than one year with Group Codes of 'NGP' and 'GP' respectively under Sub Class of Life Business under the Division of Group Business under Non-Linked Category.
 - (10) There shall be two Groups, namely, With Guarantees and Without Guarantee with Group Codes of 'WG' and 'WOG' respectively under each of the categories Unit-Linked, Non-Linked Variable Insurance Products and Linked Variable Insurance Products.
 - (11) "Nil" Statements shall be furnished for those forms where the insurer has no transactions.
 - (12) All figures shall be furnished in thousands and all amounts shall be furnished in Indian Rupees.
 - (13) In respect of Group Business, 'the number of policies' in Forms, wherever applicable, shall be read as 'number of schemes'.

11. Repeal and Savings

- (1) On and from the commencement of these regulations, the Insurance Regulatory and Development Authority (Actuarial Report and Abstract) Regulations, 2000 shall stand superseded.

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | d) Reduced Paid Up | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Reinsurance Ceded: | | | | | | | | | | | | |
| | a) Regular Premium Contracts | | | | | | | | | | | | |
| | b) Single Premium Contracts | | | | | | | | | | | | |
| | c) Fully Paid Up | | | | | | | | | | | | |
| | d) Reduced Paid Up | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Total After Reinsurance: | | | | | | | | | | | | |
| | a) Regular Premium Contracts | | | | | | | | | | | | |
| | b) Single Premium Contracts | | | | | | | | | | | | |
| | c) Fully Paid Up | | | | | | | | | | | | |
| | d) Reduced Paid Up | | | | | | | | | | | | |
| <p>Notes:</p> <p>1. All figures must be furnished in thousands</p> <p>2. In respect of Group Business, number of group schemes shall be furnished under the column: 'number of policies';</p> <p>3. 'Premium' refers to Annualised Premium</p> <p>4. 'Single Premium' includes consideration of immediate or deferred annuities and all other premiums paid at the outset of contracts</p> <p>and no subsequent premium is payable. The entire single premium collected in the valuation year shall be furnished.</p> <p>5. 'Sum assured' refers to the sum assured payable on death/other contingencies during the currency of the policy.</p> | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 09 | Survivance or the happening of contingencies insured against other than death | | | | | | | | |
| 10 | Expiry of term under temporary assurance. | | | | | | | | |
| 11 | Surrenders of Policy | | | | | | | | |
| 12 | Surrenders of Bonus | | | | | | | | |
| 13 | Forefeiture / Lapse | | | | | | | | |
| 14 | Paid up | | | | | | | | |
| 15 | Not taken up | | | | | | | | |
| 16 | Change & Decrease | | | | | | | | |
| 17 | Total Off | | | | | | | | |
| 18 | Closing balance | | | | | | | | |

Notes:

- 1 All figures must be furnished in thousands
- 2 In respect of Group Business, number of group schemes shall be furnished under the column: 'number of policies';
- 3 All amounts stated shall be total gross amounts without taking into account of reinsurances ceded or accepted
- 4 Rider Premium' reflects the annualised rider premium.
- 5 Rider Sum Assured' is the sum assured of the rider as defined in approved File & Use application.
- 6 Annualised Premium shall include 10% of the Single Premium
- 7 Paid-up shall refer both the reduced paid up and fully paid-up policies.

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 05 | General Annuity | Before Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | | After Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Health | Before Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | | After Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GROUP BUSINESS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Life Business | Premiums Guaranteed for one year : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | | Before Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | After Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Premiums Guaranteed for not more than one year : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | Before Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | After Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Pension | Before Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | After Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | General Annuity | Before Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | After Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Health | Before Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | After Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | TOTAL BUSINESS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Totals | Before Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | After Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Notes:

- 1 All figures should be in thousands
- 2 $ol(19) = Col (11) + Col(12) + Col (13) + Col (14) + Col (15) + Col(16) + Col (17) - Col (18)$
- 3 $Co(22) = Max \{ Col (19) + Col (20), Col (21)\}$
- 4 $Co(21) = Max \{ Special Surrender Value, Guaranteed Surrender Value\}$

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | Other 6 (Please Define) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Other 7 (Please Define) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Other 8 (Please Define) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Other 9 (Please Define) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Other 10 (Please Define) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | Total Before Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Reinsurance Ceded | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Total After Reinsurance | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Notes:

- 1 All figures should be in thousands
Col (13) = Col (10) + Col (11) + Col (12)
- 2 (12)
- 3 Co(16) = Max { Col (13) + Col (14), Col (15)}
- 4 Co(15) = Max { Special Surrender Value, Guaranteed Surrender Value}

Form ULB 2
(See Regulation 4)
Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016
Statement of Net Asset Values for the Segregated Funds maintained by insurer for its Unit Linked Business
31st MARCH ____

Name of the Insurer: _____ Date of Registration: _____ Form Code: _____
 Classification: _____ Registration Number: _____ Classification Code: _____
 Type: _____ Type Code: _____
 Category: _____ Category Code: _____

| Item No | Fund Value | Life | | | | | Pension | | | | | General Annuity | | Health | TOTAL | |
|---------|---|----------|----------|----------|----------|-------|----------|----------|----------|----------|-------|-----------------|-------|----------|-------|-------|
| | Description | Fund - 1 | Fund - 2 | Fund - 3 | Fund - 4 | | Fund - 1 | Fund - 2 | Fund - 3 | Fund - 4 | | Fund - 1 | | Fund - 1 | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 01 | Fund Brought forward from last year | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Value of creation of units | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Increase (decrease) In value of investments in the financial year | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ** Other income | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Total income (Sum 01 to 04) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | value of Cancellation of Units | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Fund Administration charges | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Management charges | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Tax paid | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Other expenditure | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Increase (decrease) in provisions | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Total expenditure (sum 06 to 11) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | fund carried forward | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Total number of units: | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Net Asset value per Unit | | | | | | | | | | | | | | | |

Notes:

- 1 All figures should be in thousands
- 2 Items under Col (3), Col (4), Col (5), Col (6) etc. must be brought forward from the annual accounts of the company.

Form VIPLB 2
(See Regulation 4)
Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016
Statement of the Funds maintained by insurer for its Variable Linked Insurance Business
31st MARCH ____

Name of the Insurer:
Classification:
Type:
Category:

Date of Registration:
Registration Number:

Form Code
Classification Code:
Type Code:
Category Code:

| Item No | Fund Value | Life | | | | Pension | General Annuity | | | | Health | | TOTAL | | | |
|---------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|---------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------|------|------|------|
| | Description | Product - 1 | Product - 2 | Product - 3 | Product - 4 | | Product - 1 | Product - 2 | Product - 3 | Product - 4 | Product - 1 | Product - 2 | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) |
| 01 | Policy Account Value Brought forward from last year | | | | | | | | | | | | | | | |
| 02 | Value of allocated premium | | | | | | | | | | | | | | | |
| 03 | Increase (decrease) In value of investments in the financial year | | | | | | | | | | | | | | | |
| 04 | ** Other income | | | | | | | | | | | | | | | |
| 05 | Total income (Sum 01 to 04) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 06 | Mortality/Morbidity Charge | | | | | | | | | | | | | | | |
| 07 | Administration charges | | | | | | | | | | | | | | | |
| 08 | Management charges | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Other charges (if any) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 09 | Tax paid | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Other expenditure | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Increase (decrease) in provisions | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Total expenditure (sum 06 to 11) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Policy Account Value carried forward | | | | | | | | | | | | | | | |

Notes:

1 All figures should be in thousands and must be consistent with the annual audited accounts of the company

| Form H (See Regulation 4) Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurane Business) Regulations, 2016 Summary of Valuation as at 31st MARCH ____ | | | |
|---|---|---|--|
| Name of the Insurer | | Form Code | Date of Registration: Registration Number: |
| Item No. | Type | Category of Business | Mathematical Reserves (inclusive of cost of bonuses allocated) |
| (1) | | (2) | (3) |
| Business within India: | | | |
| 01 | Par | Non-Linked Business | |
| 02 | | Unit Linked Business | |
| 03 | | VIP-Non Linked Business | |
| 04 | | VIP-Linked Business | |
| 05 | | TOTAL (total of the items (1) to (4)) | |
| 06 | Non-Par | Non-Linked Business | |
| 07 | | Unit Linked Business | |
| 08 | | VIP-Non Linked Business | |
| 09 | | VIP-Linked Business | |
| 10 | | TOTAL (total of the items (6) to (9)) | |
| 11 | Grand TOTAL (total of the items (5) and (10)) | | |
| Total Business: | | | |
| 12 | Par | Non-Linked Business | |
| 13 | | Unit Linked Business | |
| 14 | | VIP-Non Linked Business | |
| 15 | | VIP-Linked Business | |
| 16 | | TOTAL (total of the items (12) to (15)) | |
| 17 | Non-Par | Non-Linked Business | |
| 18 | | Unit Linked Business | |
| 19 | | VIP-Non Linked Business | |
| 20 | | VIP-Linked Business | |
| 21 | | TOTAL (total of the items (17) to (20)) | |
| 22 | Grand TOTAL (total of the items (16) and (21)) | | |

Note :

- 1 All figures should be in thousands
- 2 Mathematical reserves in Col (3) shall be furnished inclusive of cost of bonuses allocated

Form IA (Non-Participating)
(See Regulation 4)
Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016
Valuation Results as at
31st MARCH ____

Name of the Insurer:
Classification:
Type:

Date of Registration:
Registration Number:

Form Code
Classification Code:
Type Code:

| Item No. | Description | Balance of Fund shown in Balance Sheet | Mathematical reserves (excluding cost of bonuses allocated) | Surplus |
|----------|---|--|---|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 01 | Business within India: | | | |
| | Non-Linked | | | |
| | a Non-par Policies - Life | | | |
| | b Non-par Policies - Pensions | | | |
| | c Non-par Policies - Annuity | | | |
| | d Non-par Policies - Health | | | |
| | Unit-Linked | | | |
| | e Non-par Policies - Life | | | |
| | f Non-par Policies - Pensions | | | |
| | g Non-par Policies - Annuity | | | |
| | h Non-par Policies - Health | | | |
| | VIP | | | |
| | i Non-par Policies - Life | | | |
| | j Non-par Policies - Pensions | | | |
| 02 | Totals - Policyholder Funds - within India | | | |
| 03 | Total Business | | | |
| | Non-Linked | | | |
| | a Non-par Policies - Life | | | |
| | b Non-par Policies - Pensions | | | |
| | c Non-par Policies - Annuity | | | |

| | | | | | |
|----|---|------------------------------------|--|--|--|
| | d | Non-par Polices - Health | | | |
| | | Unit-Linked | | | |
| | e | Non-par Polices - Life | | | |
| | f | Non-par Polices - Pensions | | | |
| | g | Non-par Polices - Annuity | | | |
| | h | Non-par Polices - Health | | | |
| | | VIP | | | |
| | i | Non-par Polices - Life | | | |
| | j | Non-par Polices - Pensions | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 04 | | Totals - Policyholder Funds | | | |

Notes:

- 1 All figures should be in thousands
- 2 Col (5) = Col (3) - Col (4)

Form IA (Participating)
(See Regulation 4)
Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016
Valuation Results as at
31st MARCH ____

Name of the Insurer:
Classification:
Type:

Date of Registration:
Registration Number:

Form Code
Classification Code:
Type Code:

| Item No. | Description | Balance of Fund shown in Balance Sheet | Mathematical reserves (excluding cost of bonuses allocated) | Surplus |
|----------|-------------------------------|--|---|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 01 | Business within India: | | | |
| | Non-Linked | | | |
| a | Life | | | |
| b | Pensions | | | |
| c | Annuity | | | |
| d | Health | | | |
| | Non-Linked VIP | | | |
| a | Life | | | |
| b | Pensions | | | |
| c | Annuity | | | |
| d | Health | | | |
| | Unit Linked | | | |
| a | Life | | | |
| b | Pensions | | | |
| c | Annuity | | | |
| d | Health | | | |
| | Linked VIP | | | |
| a | Life | | | |
| b | Pensions | | | |
| c | Annuity | | | |
| d | Health | | | |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| 02 | | Totals - Policyholder Funds - within India | | | |
| | | | | | |
| 03 | | Total Business | | | |
| | | Non-Linked | | | |
| | a | Life | | | |
| | b | Pensions | | | |
| | c | Annuity | | | |
| | d | Health | | | |
| | | Non-Linked VIP | | | |
| | a | Life | | | |
| | b | Pensions | | | |
| | c | Annuity | | | |
| | d | Health | | | |
| | | Unit Linked | | | |
| | a | Life | | | |
| | b | Pensions | | | |
| | c | Annuity | | | |
| | d | Health | | | |
| | | Linked VIP | | | |
| | a | Life | | | |
| | b | Pensions | | | |
| | c | Annuity | | | |
| | d | Health | | | |
| | | | | | |
| 04 | | Totals - Policyholder Funds | | | |

Notes:

- 1 All figures should be in thousands
- 2 Col (5) = Col (3) - Col (4)

Form I
(See Regulation 4)
Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016
Valuation Results as at
31st MARCH ____

Name of the Insurer:

Date of Registration:

Form Code

Classification:

Registration Number:

Classification Code:

| Item No. | Description | Balance of Fund shown in Balance Sheet | Mathematical reserves (excluding cost of bonuses allocated) | Surplus |
|----------|---|--|---|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 01 | Business within India: | | | |
| | a Participating Policies | | | |
| | b Non-participating Policies | | | |
| 02 | Totals - Policyholder Funds - within India | | | |
| 03 | Total Business | | | |
| | a Participating Policies | | | |
| | b Non-participating Policies | | | |
| 04 | Totals - Policyholder Funds | | | |

Notes:

- 1 All figures should be in thousands
- 2 Col (5) = Col (3) - Col (4)
- 3 The figures shown in column (3) includes surplus in the policyholder fund; it is the Balance Sheet position of assets prior to any transfer having being made out to the shareholder fund.
- 4 The figures shown in (3) and the Surplus shown in (5) also includes shareholder transfer to the policyholder fund in order to meet the deficits in some segments.
- 5 The figures shown in column (3) for Par business does not include the amount of interim and terminal bonus paid to the policyholder during the inter valuation period amounting Rs. X.

| | | | |
|---|--|---|---|
| Current Assets | | | |
| Cash & Bank Balances as per BS ----- (H) | | | - |
| Advances and Other assets as per BS ----- (I) | | | - |
| Total Current Assets as per BS ----- (J) = (H) + (I) | | | - |
| Inadmissible Current assets*** ----- (K) | | | - |
| | | | |
| Current Liabilities & Provisions | | | |
| Current Liabilities as per BS ----- (L) | | | - |
| Provisions as per BS ----- (M) | | | - |
| Total Current Liabilities & Provisions ----- (N) = (L) + (M) | | | - |
| | | | |
| | | | |
| Policy Loans | | | |
| Policy and Other Admissible Loans as per BS ----- (O) | | | - |
| | | | |
| Fair Value Change Account subject to minimum of zero----- (P) | | | |
| | | | |
| Total Assets as per BS ----- (Q) = (D) + (F) + (J) - (N) + (O) | | - | - |
| | | | |
| Total Inadmissible assets ----- (R) = (E) + (G) + (K) + (P) | | - | - |
| | | | |
| Total Admissible assets for Solvency ---- (Q) - (R) | | - | - |
| | | | |

Note: Policyholders' asset (SCH 8A) should include assets backing non unit liabilities of linked business. However, SCH 8B will include only assets backing unit liabilities

*** Inadmissible assets as per the Clause-I of Schedule-I of the IRDAI (ALSM Regulations), 2016

'BS' indicates 'Balance Sheet'

| | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | ----- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | VIP Non-Linked | | | | | | | | | |
| | Division / sub-class / group by | | | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | VIP Linked | | | | | | | | | |
| | Division / sub-class / group by | | | | | | | | | |
| | ----- | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | Total - Participating | | | | | | | | | |
| 03 | Total | | | | | | | | | |

(1) $K1 = 0.85^*$ or (Mathematical Reserves after Reinsurance / Mathematical Reserves before reinsurance), whichever is higher.

(2) $K2 = 0.5$ or (Sum at Risk after reinsurance / Sum at risk before reinsurance), whichever is higher

(3) Col. (11) = [Col. (3) x Col. (5) x Col. (9)] + [Col. (6) x Col. (8) x Col. (10)]

(4) In the computation of the total sum at risk, ignore the contracts for which the sum at risk is a negative figure or does not exist

(5) The first and second factor are x% and y % respectively

(6) K1 and K2 shall be calculated separately for each row.

| Required Solvency Margin (RSM) Factors | | |
|---|-----------------|---------------|
| | Existing | |
| | First Factor | Second Factor |
| 1.Type: Non-Participating | | |
| 1.1. Category:Non-Linked: | | |
| 1.1.1. Division- Individual | | |
| 1.1.1.1. Sub-Class- Life Business | | |
| 1.1.1.1.a. Other than term | 3.00% | 0.30% |
| 1.1.1.1.b. Pure Term | 3.00% | 0.10% |
| 1.1.1.1.c. Term with ROP | 3.00% | 0.10% |
| 1.1.1.2. Sub-Class- General Annuity | 3.00% | 0.00% |
| 1.1.1.3. Sub-Class-Pension | 3.00% | 0.30% |
| 1.1.1.4. Sub-Class- Health | 3.00% | 0.00% |
| | | |
| 1.1.2. Division: Group Business: | | |
| 1.1.2.1. Sub-class: Life Business : | | |
| 1.1.2.1.a. Premiums guaranteed for not more than one year | 1.00% | 0.10% |
| 1.1.2.1.b. Premiums guaranteed for more than one year | 1.00% | 0.10% |
| 1.1.2.1.c. Fund Based Non Participating | 1.00% | 0.10% |
| 1.1.2.2. Sub-class: General Annuity | 3.00% | 0.00% |
| 1.1.2.3. Sub-class: Pension | 3.00% | 0.10% |
| 1.1.2.4. Sub-Class- Health | 3.00% | 0.00% |
| | | |
| | | |
| 1.2. Category: Linked : | | |
| 1.2.1. Division- Individual | | |
| 1.2.1.1. Sub-Class- Life Business | | |
| 1.2.1.1.a. with guarantees | 1.80% | 0.20% |

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| 1.2.1.1.b. without guarantees | 0.80% | 0.20% |
| 1.2.1.2. Sub-Class- General Annuity | | |
| 1.2.1.2.a. with guarantees | 1.80% | 0.20% |
| 1.2.1.2.b. without guarantees | 0.80% | 0.20% |
| 1.2.1.3. Sub-Class- Pension | | |
| 1.2.1.3.a. With guarantees | 1.80% | 0.20% |
| 1.2.1.3.b. without guarantees | 0.80% | 0.20% |
| 1.2.1.4. Sub-Class- Health | | |
| 1.2.1.4. a. With guarantees | 1.80% | 0.00% |
| 1.2.1.4. b. without guarantees | 0.80% | 0.00% |
| | | |
| 1.2.2. Division: Group Business: | | |
| 1.2.2.1. Sub-Class- Life Business | | |
| 1.2.2.1.a. with guarantees | 1.80% | 0.20% |
| 1.2.2.1.b. without guarantees | 0.80% | 0.20% |
| 1.2.2.2. Sub-Class- General Annuity | | |
| 1.2.2.2.a. with guarantees | 1.80% | 0.20% |
| 1.2.2.2.b without guarantees | 0.80% | 0.20% |
| 1.2.2.3. Sub-Class- Pension | | |
| 1.2.2.3.a. With guarantees | 1.80% | 0.20% |
| 1.2.2.3.b. without guarantees | 0.80% | 0.20% |
| 1.2.2.4. Sub-Class- Health | | |
| 1.2.2.4.a. With guarantees | 1.80% | 0.00% |
| 1.2.2.4.b. without guarantees | 0.80% | 0.00% |
| | | |
| | | |
| 2. Type: Participating | | |

| | | |
|---|-------|-------|
| 2.1. Category:Non-Linked: | | |
| 2.1.1. Division- Individual | | |
| 2.1.1.1. Sub-Class- Life Business | 3.00% | 0.30% |
| 2.1.1.2. Sub-Class- General Annuity | 3.00% | 0.00% |
| 2.1.1.3. Sub-Class- Pension | 3.00% | 0.10% |
| 2.1.1.4. Sub-Class- Health | 3.00% | 0.00% |
| | | |
| 2.1.2. Division: Group Business: | | |
| 2.1.2.1. Sub-class: Life Business : | | |
| 2.1.2.1.a. Premiums guaranteed for not more than one year | 1.00% | 0.10% |
| 2.1.2.1.b. Premiums guaranteed for more than one year | 1.00% | 0.10% |
| 2.1.2.1.c. Fund Based Participating | 1.00% | 0.10% |
| 2.1.2.2. Sub-class: General Annuity | 3.00% | 0.00% |
| 2.1.2.3. Sub-class: Pension | 3.00% | 0.10% |
| 2.1.2.4. Sub-Class- Health | 3.00% | 0.00% |
| | | |
| 2.2. Category: Linked : | | |
| 2.2.1. Division- Individual | | |
| 2.2.1.1. Sub-Class- Life Business | | |
| 2.2.1.1.a. with guarantees | 1.80% | 0.20% |
| 2.2.1.1.b. without guarantees | 0.80% | 0.20% |
| 2.2.1.2. Sub-Class- General Annuity | | |
| 2.2.1.2.a. with guarantees | 1.80% | 0.20% |
| 2.2.1.2.b. without guarantees | 0.80% | 0.20% |
| 2.2.1.3. Sub-Class- Pension | | |
| 2.2.1.3.a. With guarantees | 1.80% | 0.20% |
| 2.2.1.3.b. without guarantees | 0.80% | 0.20% |

| | | |
|-------------------------------------|-------|-------|
| 2.2.1.4. Sub-Class- Health | | |
| 2.2.1.4.a. With guarantees | 1.80% | 0.00% |
| 2.2.1.4.b. without guarantees | 0.80% | 0.00% |
| | | |
| 2.2.2. Division: Group Business: | | |
| 2.2.2.1. Sub-Class- Life Business | | |
| 2.2.2.1.a. with guarantees | 1.80% | 0.20% |
| 2.2.2.1.b. without guarantees | 0.80% | 0.20% |
| 2.2.2.2. Sub-Class- General Annuity | | |
| 2.2.2.2.a. with guarantees | 1.80% | 0.20% |
| 2.2.2.2.b. without guarantees | 0.80% | 0.20% |
| 2.2.2.3. Sub-Class- Pension | | |
| 2.2.2.3.a. With guarantees | 1.80% | 0.20% |
| 2.2.2.3.b. without guarantees | 0.80% | 0.20% |
| 2.2.2.4. Sub-Class- Health | | |
| 2.2.2.4. a. With guarantees | 1.80% | 0.00% |
| 2.2.2.4. b. without guarantees | 0.80% | 0.00% |

Notes:

(1) The Factors Applicable to the Adjustments shall be as per the nature of the Base products

(2) The Factors Applicable to the Riders shall be as per the following table:

| | First Factor | Second Factor |
|---------------------------------------|--------------|---------------|
| | | |
| For Health Insurance Rider | 3.00% | 0.00% |
| For Other than Health Insurance Rider | 3.00% | 0.10% |

Form KT-2
(See Regulation 4)
Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurane Business) Regulations, 2016
Required Solvency Margin based on Assets of Policyholders' Funds
31st MARCH ____

Name of the Insurer:

Date of Registration:

Form Code

Classification:

Registration Number:

Classification Code:

| Item No. | Category of Asset | Notes | Amount (see Notes below) Rs. | Third Factor % | Required Solvency Margin |
|----------|----------------------------|-------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| | (1) | (2). | (3) | (4) | (5) |
| | Non-Mandated investments | | | | |
| | Corporate Bonds | | | | |
| 01 | AAA or Equivalent * | | | | |
| 02 | AA or Equivalent ** | | | | |
| 03 | A or Equivalent | | | | |
| 04 | BBB or Equivalent | | | | |
| 05 | BB or Equivalent | | | | |
| 06 | B or Equivalent | | | | |
| 07 | Lower than B | | | | |
| 08 | Unrated *** | | | | |
| | Mortgages | | | | |
| 09 | Residential | | | | |
| 10 | Commercial | | | | |
| | Real Estate | | | | |
| 11 | Residential | | | | |
| 12 | Commercial | | | | |
| | Preference Shares | | | | |
| 13 | Listed Preference Shares | | | | |
| 14 | Unlisted Preference Shares | | | | |
| | Equity | | | | |
| 15 | Listed Ordinary Shares | | | | |
| 16 | Unlisted Ordinary Shares | | | | |
| 17 | Total | | | | |

- Notes :**
- (1) Column (5) = Column (3) X Column (4)
- (2) Column (4) = zero until further intimation from the Authority
- (3) The table should show the amount (in column (3)) which is Balance Sheet Value in respect of the above mentioned category of asset (where the Balance Sheet is prepared in accordance with Insurance Regulatory and Development Authority of India (Preparation of Financial Statement and Auditor's Report of Insurance Companies) Regulations, 2016)

| Form KT-3 (See Regulation 4) Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurance Business) Regulations, 2016 Available Solvency Margin and Solvency Ratio 31st MARCH ____ | | | |
|--|--|---|-----------------------------------|
| Name of the Insurer: Classification: | | Date of Registration: Registration Number: | Form Code Classification Code: |
| Item | Description | Notes No... | Adjusted Value |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 01 | Available Assets in Policyholders' Fund: | 1 | |
| | Deduct: | | |
| 02 | Mathematical Reserves | 2 | |
| 03 | Other Liabilities | 3 | |
| 04 | Excess in Policyholders' funds (01-02-03) | | |
| 05 | Available Assets in Shareholders Fund: | 4 | |
| | Deduct: | | |
| 06 | Other Liabilities of shareholders' fund | 3 | |
| 07 | Excess in Shareholders' funds (05-06) | | |
| 08 | Total ASM (04)+(07) | | |
| 09 | Total RSM | | |
| 10 | Solvency Ratio (ASM/RSM) | | |

Certification:

I, the Appointed Actuary, certify that the above statements have been prepared in accordance with the section 64VA of the Insurance Act, 1938, and the amounts mentioned therein are true and fair to the best of my knowledge.

Place

Date:

Name and Signature of Appointed Actuary

Name and Signature of CEO

Notes

- Item No. 01 shall be the amount of the Total Admissible assets for Solvency as mentioned in Form IRDAI-Assets- AA under Policyholders A/C;
- Item No. 02 shall be the amount of Mathematical Reserves as mentioned in Form H;
- Item Nos. 03 and 06 shall be the amount of other liabilities as mentioned in the Balance Sheet;
- Items No. 05 shall be the amount of the Total Admissible assets for Solvency as mentioned in Form IRDAI-Assets- AA under Shareholders A/C;

Form 5
(See Regulation 4)
Insurance Regulatory and Development Authority of India (Actuarial Report and Abstract for Life Insurane Business) Regulations, 2016

Composition and Distribution of Surplus
31st MARCH ____

| | | |
|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Name of the Insurer: | Date of Registration: | Form Code |
| Classification: | Registration Number: | Classification Code: |
| Type: | | Type Code: |
| Category: | | Category Code: |

| Composition of surplus | | | | | | |
|-------------------------|--|------|---------|-----------------|--------|-------|
| | | Life | Pension | General Annuity | Health | Total |
| 01 | Surplus emerged during the year | | | | | |
| 02 | Interim bonus paid during the inter valuation period | | | | | |
| 03 | Terminal Bonus paid during the inter valuation period. | | | | | |
| 04 | Loyalty Additions or other forms of bonuses, if any, paid during the inter-valuation period | | | | | |
| 05 | Sums transferred from shareholders fund during the intervaluation period | | | | | |
| 06 | Amount of surplus, from policyholders' funds, brought forward from preceding valuation | | | | | |
| 07 | Total Surplus[2] (Sum of items 1 to 6)** | | | | | |
| Distribution of surplus | | | | | | |
| | | Life | Pension | General Annuity | Health | Total |
| 01 | To Interim Bonuses paid | | | | | |
| 02 | To Terminal Bonuses | | | | | |
| 03 | To Loyalty Additions or any other forms of bonuses, if any | | | | | |
| 04 | Among policyholders with immediate participation | | | | | |
| 05 | Among policyholders with deferred participation | | | | | |
| 06 | Among policyholders in the discounted bonus class | | | | | |
| 07 | To every reserve fund or other fund or account | | | | | |
| 08 | As carried forward un-appropriated | | | | | |
| 09 | To the shareholders' funds (any such sums passed through the accounts during the inter valuation period to be separately stated) | | | | | |
| 10 | Total Surplus allocated (Sum of items 1 to 9) ** | | | | | |